आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

सितम्बर 2023

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

मणिपुर हो या मेवात

कब बुझेगी नफ़रत की आग?

ADAM'S HOME ENGLISH MISSION SCHOOL

Noor Nagar, Near Waris Colony Mango, Jamshedpur

Providing :Value based Education,
Personalised Care and Individual Attention,
Experrienced,Dedicated, and Committed Staff.

No Objection Certificate (NOC) granted by Govt.Of Jharkhand for affiliation to ICSE board New Delhi

Choudhary Hasibur Rahman
Secretary
Mob.: 9934176679

Prof. Susanna Hansdak
Director
Mob.: 9431154812

Run & Managed By:
Noorun Nisa Education & Welfare Society (Regd.)
Ph: 0657 6419169

Website Link :
www.kantimasik.com

संपादक
शिब्ली अरसलान
editorkantimasik@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि
एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
दो वर्ष 670/- रु॰ तीन वर्ष 950/- रु॰
चार वर्ष 1200/- रु॰ पांच वर्ष 1400/- रु॰
आजीवन रु॰ 4000/-
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
+91 8920589292

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली - 110006 से मुद्रित।
फ़ोन: 9818799223
संपादक: शिब्ली अरसलान

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 33 अंक 03 सितम्बर 2023

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब



कान्ति
मासिक

इस अंक में

मूल प्रश्न 04
सामाजिक सौहार्द क़ायम रखने की चुनौती
शिब्ली अरसलान

चिंतन 07
ज्ञान का सबसे प्रमाणिक स्रोत
संपादन प्रभाग

सौंदर्य बोध 09
सफल हो गया, जिसने उसे विकसित किया
तबाना नूरी

मुख्य स्तंभ 11
कब बुझेगी नफ़रत की आग?
सुफ़ियान अहमद

अभिमत 15
सांप्रदायिकता : सामाजिक जड़ता का संकेत
डॉ. सत्यवान सौरभ

समाधान 19
हरेक जान का हो सम्मान
एस. अमीनुल हसन

कविता 23
नया शिवाला
अल्लामा इक़बाल

विचार 25
राष्ट्रवाद की परिकल्पना और चरमपंथ
सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

मंथन 28
महिला सुरक्षा का संकल्प
नईम अलहिन्दी

आपदा 31
समस्याओं की बाढ़
जितेंद्र गौतम

शिक्षा विमर्श 33
पाठ्यक्रम की पोथी में सियासत का रंग
डॉ. प्रदीप कुमार

सेहत 35
रक्तचाप संबंधी समस्याओं की अनदेखी न करें
संपादन प्रभाग

करियर 38
कौशल में है अवसर
संपादन प्रभाग

कहानी 43
क़ानूनी कुमार
मुंशी प्रेमचंद

आख़िरी पन्ना 48
"समाज-सुधार" की व्यापक अवधारणा
संपादन प्रभाग

मूल प्रश्न



सामाजिक सौहार्द क़ायम रखने की चुनौती

शिब्ली अरसलान

उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में पिछले तीन महीने से आग व ख़ून की होली खेली जा रही है। मेतेई बहुसंख्यक जाति के अंदर कुकी नामक ईसाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदाय के लिए ऐसी नफ़रत भर गई है कि वे उसके ख़ून के प्यासे हो गए हैं। कुकी महिलाओं की इज़्ज़त और उनके बच्चों की मासूमियत पर भी मेतेई समाज का दिल नहीं पिघलता। कुकी समाज की महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की घटनाएं बड़ी हृदय विदारक हैं।

गत दिनों हरियाणा में नूह (मेवात) और गुरुग्राम समेत कई ज़िले हिंसा की चपेट में रहे, अब बज़ाहिर शान्ति है मगर सामाजिक माहौल तनावपूर्ण है। नफ़रत बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। हर तरफ़ नफ़रत का बाज़ार गरम है। 'महापंचायत' आयोजित करके कुछ नफ़रती गैंग आग में घी डाल रहे हैं। चुनाव और त्योहार का अवसर नफ़रत की दबी लहर को और अधिक तेज़ कर देता है।

विडंबना ये है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में एक प्रांत और क्षेत्र की नफ़रत तेज़ी के साथ देश के दूसरे हिस्से में पहुंच जा रही है। बल्कि अब तो ये लग रहा है कि नफ़रत और उन्माद का भूमंडलिकरण हो गया है, पश्चिमी देशों के अंदर जो नस्लीय भेदभाव (Ethnic Discrimination) और नफ़रत हम पढ़ते रहे हैं वो अब तीसरी दुनिया में फैल रही है।

ये नफ़रत यूं ही अगर जारी रही तो ये हमें विनाश की गर्त तक ले जाकर छोड़ेगी। नफ़रत हमारे रचनात्मक दिमाग़ और सकारात्मक चिंतन के विपरीत काम करती है। नफ़रत हमें नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। यह कभी हमें विचार-विमर्श का मौक़ा नहीं देती। नफ़रत के साथ हम अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में कभी भी कुछ ठोस प्राप्त नहीं कर सकते। किसी ने सही कहा है कि हमें बरबाद होने या करने के लिये ज़हर, गोला, बारूद या दुश्मन की ज़रूरत नहीं, हम ख़ुद ही ख़ुद से नफ़रत और दुश्मनी कर अपनी बर्बादी की कहानी लिखने के लिए काफ़ी हैं।

हम इतने नफ़रती क्यों हो गए हैं? और यह कैसे फैलती है?

किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने वाली विरक्ति (उदासीनता) से नफ़रत की पैदाईश होती है, फिर ये ऐसी शक्तिशाली भाव बन जाती है कि उस व्यक्ति और वस्तु को देखना तक गवारा नहीं होता। नफ़रत के कई कारण हो सकते हैं। आज्ञनता, भय, अहंकार, प्रतिस्पर्धा इसके मुख्य कारण हैं, मगर नफ़रत फैलती है धारणाओं के निर्माण (image building) से, धारणाओं के निर्माण का काम आजकल मीडिया और सोशल मीडिया करता है। धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। किसी के ख़िलाफ़ धारणा बनवाकर आप उसके ख़िलाफ़ कोई भी सच्चे-झूठे इल्ज़ाम लगाइये, लोग फ़ौरन उसे सच मान लेंगे। किसी गांव की एक जाति विशेष के लोग वहां चोरी के लिए कुख्यात थे। एक बार एक व्यक्ति के खेत पर चोरी हुई जिसमें उसकी पानी की मोटर और पाइप्स चुरा लिए गए। सबने कहा कि वो जाति विशेष के लोग चुरा ले गए होंगे। खेत के मालिक ने थोड़ी ही देर में ये मान भी लिया। लेकिन एक दिन जब खेत मालिक थोड़ी दूर के पड़ोस के कुएं पर किसी काम से गया तो पता चला कि मोटर और पाइप तो वहां हैं। जबकि वही व्यक्ति इस बात पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा था कि चोर तो उस गांव में रहने वाले उस जाति के लोग हैं। अधिकांश लोगों ने डर के मारे कभी उस गांव में जाकर नहीं देखा था कि वे लोग क्या वाक़ई चोर हैं, क्रूर हैं और क्या दानवों की

तरह दिखते हैं जैसा कि उनके बारे में कहा जाता था? धारणाओं का निर्माण किया गया था और किस किसने लाभ उठाया होगा, कोई नहीं जानता।

धारणाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। इसके ज़रिए अक्सर धूर्त लोग, नेता और संगठन भोले-भाले लोगों का लाभ उठाते हैं। धारणाओं के ज़रिए लोगों में फुट डाली जाती है, उन्हें आपस में लड़वाया जाता है, उन्हें बिना एक-दूसरे को जाने-समझे ही एक दूसरे के ख़ून का प्यासा तक बना दिया जाता है। यह धारणाओं की शक्ति के बल पर किया जाता है। धारणाएं दिखती नहीं है लेकिन यह अदृश्य गुरुत्वाकर्षण बल के जितनी ही शक्तिशाली होती हैं। गुरुत्वाकर्षण की ही तरह धारणाओं को भी फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप इनपर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन ये दोनों आपको ज़रा-सी लापरवाही पर अर्श से सीधे फ़र्श पर पटक सकते हैं। किसी धारणा की परिधि एक घर तक भी सीमित हो सकती है या एक शहर तक या एक देश तक या फिर यह वैश्विक स्तर तक पहुंच रख सकती है।

धारणाओं को तोड़ना मुश्किल होता है, मगर असंभव नहीं। धारणाएं ख़त्म होंगी अपने आसपास रहने वाले और ख़ुद से भिन्न दिखने वाले लोगों के प्रति उदासीनता के ख़त्म होने से। सामाजिक मेल-मिलाप और एंगेजमेंट बेहद ज़रूरी है। वो सामाजिक-धार्मिक संगठन, समूह और कार्यकर्ता जो समाज में सद्भावना चाहते हैं, उन्हें हिंसा के बाद सद्भावना रैली और सद्भावना यात्रा आयोजित करने के साथ-साथ वर्ष के 12 महीने समूदायों और जातियों के मध्य मिलकर काम करने की फ़िज़ा बनाने पर काम करना चाहिए। हम मनुष्यों का पहला कर्तव्य यही है कि ग़लत धारणाओं को कुचलते चलें।

समाज में धर्म की आत्मा अर्थात् सच्ची धार्मिकता के लिए दीर्घकालिक काम की भी बड़ी ज़रूरत है। धर्म का नाम लेकर मानव समाज के अंदर जो विघटनकारी शूल बो दिए गए हैं, इसका जवाब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि धर्म की वास्तविक अवधारणा और सच्ची धार्मिकता का बड़े दायरे में योजनाबद्ध तरीक़े से प्रचार-प्रसार हो। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष बौद्धिक वर्ग धर्म के वास्तविक दर्शन को समझे बग़ैर इस ज़हरीली फ़िज़ा पर ज़बानी दुख का इज़हार तो करता रहता है, मगर भारतीय धार्मिक समाज को गहराई तक प्रभावित करने में नाकाम है। राजनीतिक सत्ता से उपकृत ऊर्जावान कुछ मुट्ठी भर तथाकथित धर्माचार्यों की ज़हरीली सोच से धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रोपेगंडा और एजेंडा के इस दौर में धर्म को लेकर इतना धूल-धक्कड़ उड़ाया गया है कि धर्म की पहचान मुश्किल हो गई है। निस्संदेह धर्मों के बीच भिन्नताएं हैं, मगर जब आप धर्मों के बीच कॉमन बिन्दु तलाशेंगे तो आप सहज तौर पर इस नतीजे तक पहुचेंगे कि धर्मों की आत्मा एक है और वो दो बिंदुओं से युक्त है। (1) ईश भक्ति और (2) धरती के सारे जीवधारियों का एक परिवार होने की अवधारणा।

राजनीतिक सत्ता से उपकृत ऊर्जावान कुछ मुट्ठी भर तथाकथित धर्माचार्यों की ज़हरीली सोच से धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रोपेगंडा और एजेंडा के इस दौर में धर्म को लेकर इतना धूल-धक्कड़ उड़ाया गया है कि धर्म की पहचान मुश्किल हो गई है। निस्संदेह धर्मों के बीच भिन्नताएं हैं, मगर जब आप धर्मों के बीच कॉमन बिन्दु तलाशेंगे तो आप सहज तौर पर इस नतीजे तक पहुचेंगे कि धर्मों की आत्मा एक है।

इसे ही सनातनी परम्परा में 'वसुधैव कुटुंबकम्' कहा जाता है और इस्लामी शिक्षा में 'अल-ख़ल्क़ु अयालुल्लाह' कहते हैं। इससे हटकर जो भी है, वो अधर्म है, विशुद्ध चुनावीय तिकड़म है, 'धर्म रक्षा' के अनर्गल प्रलाप द्वारा कपटियों का धर्म की आत्मा को छलनी करना है। धार्मिक व्यक्ति ख़ुदापरस्त (ईश्वर-भक्त) होता है और ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला इंसान पूरी मानव बिरादरी को ईश्वर का कुनबा समझता है। अपने ही कुनबे के विरुद्ध साज़िश और नफ़रत कैसी!! ■■

"ज़मीन और आसमानों
में जो कुछ भी है अल्लाह का है।
और जो (फ़रिश्ते) उसके पास हैं वे न
अपने को बड़ा समझकर उसकी बन्दगी
से मुंह फेरते हैं और न दुखी होते हैं।
रात और दिन उसकी तसबीह करते
रहते हैं, दम नहीं लेते।"

(क़ुरआन, 21:19)

with best compliment from

- Siraj Haider (hyderabad)
- Sharafat Husain (Mumbai)

चिंतन



संपादन प्रभाग

ज्ञान का सबसे प्रमाणिक स्रोत

विज्ञान एक असाधारण मानव प्रयास है। इसने मानव सभ्यता के बहुत से अंगों को प्रभावित किया है। विज्ञान, धर्म एवं समाज और इनके आपसी संबंधों के प्रभाव सार्वभौमिक हैं। विशेषकर आधुनिक विज्ञान और इससे प्रभावित विज्ञानवाद ने इन्हें और अधिक व्यापक बना दिया है। इसके अलावा इस संबंध में हो रही बहसें अब केवल बहसें नहीं रही, बल्कि एक विशेष जीवन धारणा के प्रभाव में इन्होंने लोगों के विवेक में इस प्रकार जगह बनाई है कि इनके प्रभाव सामाजिक स्तर के व्यवहारों में देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक विज्ञान का प्रभाव धर्म पर पड़ा है और पड़ता जाएगा।

दूसरी ओर धर्म अपनी व्यवस्था, विश्वास और प्रतीकों के ज़रिये समाज और उसकी सभी संस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। यह धार्मिक प्रभाव के नियमों, अनुमानों और निष्कर्षों पर दिखाई दे रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि विज्ञान, धर्म और समाज पर गंभीर बहसों की पुनः शुरुआत हो। निकट अतीत में यह बहसें अप्रासंगिक मानी जा रही थीं। विशेषकर नवजागृति के बाद जबकि ईसाई नैतिकता और ईसाई जीवन धारणाओं की पराजय सामूहिक मामलों में स्वीकार कर ली गई। इसके बाद मानो धर्म को मानव जीवन के सामूहिक मामलों में निर्णय के आसन से उतार दिया गया और इस आसन पर विज्ञान को बिठाने का



असफल प्रयास किया गया, (असफल इसलिए कि विज्ञान इसमें सक्षम नहीं था, न ही इसने इसका दावा किया था) लेकिन अब ऐसा नहीं है।

विज्ञान के मानवता का आदर्श मसीहा होने का भ्रम और ज्ञान का सबसे प्रमाणिक स्रोत होने का गौरव सौ साल से कम समय में ही समाप्त होने को है। मनुष्य की मूल समस्याओं के हल के लिए भौतिक स्तर पर बड़ी हद तक सफलता हासिल करने वाला विज्ञान नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इस कमी को पूरा करने में बुरी तरह असफल हुआ है, लेकिन यह असफलता दरअस्ल, विज्ञान की असफलता से ज़्यादा उस धारणा की असफलता थी, जिसमें भावनाओं, तर्कों और आंकड़ों को ईशवाणी पर अनावश्यक वरीयता दी गई। जिसने विज्ञान और धर्म के टकराव के नैरेटिव सेट किए। इसका परिणाम यह हुआ कि ज्ञान के स्रोत सिमट गए। भावनाओं की सापेक्षता नज़रों से ओझल हो गई और "वैज्ञानिक" एवं "तर्कसंगत" व्यवहारों की आड़ में "अवैज्ञानिक" एवं अतार्किक व्यवहार सामूहिक मामलों में हावी होने लगे।

ऐसा नहीं है कि यह सब एकतरफ़ा था, बल्कि जिस समय आधुनिक विज्ञान गठन और विकास की प्रक्रिया में था उस समय अतार्किक और बुद्धि को चकरा देने वाले अस्पष्ट तथा अनावश्यक धार्मिक नियमों को बुद्धि पर थोपने के असफल प्रयास किए गए। ईसाई दुनिया में जोशीले प्रचारकों और चर्च का सियासी अत्याचार इतना अंधा हो चुका था कि वह आधुनिक विज्ञान की खोज की ताक़त को महसूस ही नहीं कर पाया। इसलिए चर्च के अत्याचार और ज्ञान पर

पहरे ने पश्चिम में धर्म से विमुख विज्ञान के तीव्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्रभाव उस समय विकासशील सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक समझ पर पड़ा।

इसी आधुनिक विज्ञान के गर्भ से विज्ञानवाद (Scientism) का जन्म हुआ, जिसने विज्ञान, धर्म और समाज के त्रिकोण में नास्तिकता को प्रविष्ट कर दिया। विज्ञान की ज्ञान मीमांसा (Epistemology) में यक़ीनन नास्तिकता के लिए गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन वास्तव में इसे बेनक़ाब करने और इसमें जान फूंकने का काम विज्ञानवाद ने किया।

मनुष्य की मूल समस्याओं के हल के लिए भौतिक स्तर पर बड़ी हद तक सफलता हासिल करने वाला विज्ञान नैतिक और आध्यात्मिक रूप से इस कमी को पूरा करने में बुरी तरह असफल हुआ है, लेकिन यह असफलता दरअस्ल, विज्ञान की असफलता से ज़्यादा उस धारणा की असफलता थी, जिसमें भावनाओं, तर्कों और आकड़ों को ईशवाणी पर अनावश्यक वरीयता दी गई।

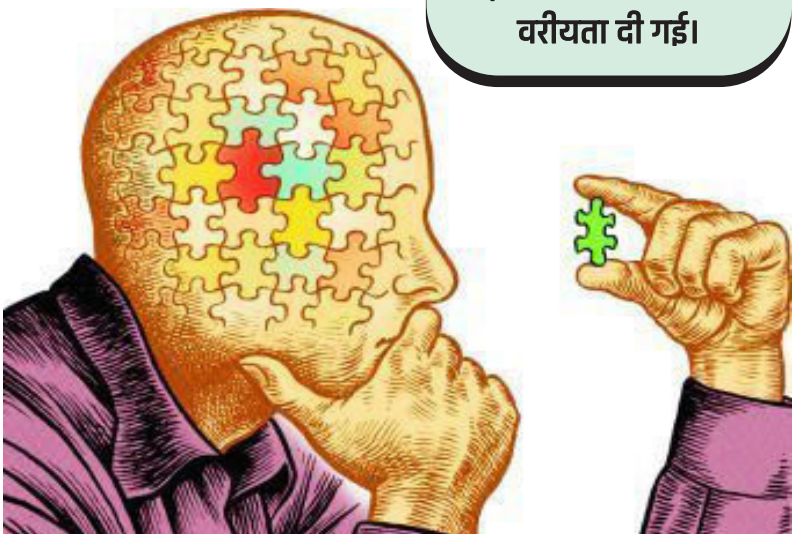

विज्ञानवाद के प्रभाव मानव समाज के प्रत्येक स्तर पर देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार विज्ञान के संयोजन से जन्म लेने वाली तकनीक ने मानव सभ्यता को विकास के नए चरण से परिचित कराया, लेकिन वह अपने साथ समस्याओं के अंबार लेकर आई, जिसमें एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती है फिर उसका हल किसी तीसरी समस्या की शरणस्थली बन जाती है। आधुनिक तकनीक तो इससे एक क़दम आगे बढ़ गई है।

आधुनिक तकनीक ने मानव विश्वासों और धर्मों के सर्वमान्य मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन क्या तकनीक स्वयं इसमें सक्षम थी या एक विशेष जीवन धारणा के तहत इस प्रकार की तकनीक अस्तित्व में आ सकती थी और आई? क्या आज तकनीक का अभिप्राय मात्र सुख-सुविधा और बेहतर उपचार और चिकित्सा की सुगमता से है? या वह इससे कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है? यह ऐसे प्रश्न हैं जिनके सही और स्पष्ट उत्तर खोजने की ज़रूरत है। इनके जवाबों पर मानव जाति और मानव सभ्यता का अस्तित्व दोनों निर्भर हैं। तकनीक के नैतिक मूल्यों के अनुकूल होने के क़िस्से भी अब पुराने हो चले। तकनीक के अपने दर्शन की ज़रूरत भी अब महसूस होने लगी है, लेकिन इसका आधार क्या हो? इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। धर्म निरपेक्ष मानवतावाद के मूल्यों, जिन पर अभी गर्व किया जा रहा है, स्थिर नहीं हैं तो क्या यह आधार धर्म पर लौटा देना चाहिए? अगर हां तो किस धर्म पर? किसी संरचित धर्म पर या किसी पारंपरिक धर्म पर?

क्या इस्लामी सिद्धांतों में एक वास्तविक विज्ञान के नवनिर्माण की अपार संभावनाएं हैं? क्या इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक इस्लाम उन्मुख विज्ञान विकसित किया जा सकता है? और निकट अतीत में इसके अंतर्गत हुए प्रयासों का विश्लेषण किसी उत्साहजनक परिणाम तक पहुंचाता है? क्या संतुलित मूल्यों के बजाए सकारात्मक मूल्यों पर आधारित तकनीक के दर्शन का विकास संभव है? क्या इस्लाम इस प्रकार की तकनीक के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध करता है?

वास्तविकता यह है कि विज्ञान, धर्म और समाज के त्रिकोण पर इस्लामी दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा दृष्टिकोण जो इस्लामी ज्ञान एवं न्याय की अवधारणा की पारदर्शिता के उच्चतम स्तर पर हो। जो विज्ञान, धर्म और समाज के मिलाप को ऐसी दिशा की ओर ले जाए जिसके अनुमानों और निष्कर्षों से एक निष्पक्ष और वास्तविक आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जिसका लाभप्रद होना आंखों से नज़र आए और जिसके आधार पर एक वास्तविक विज्ञान का पुनर्गठन किया जा सके।

■■

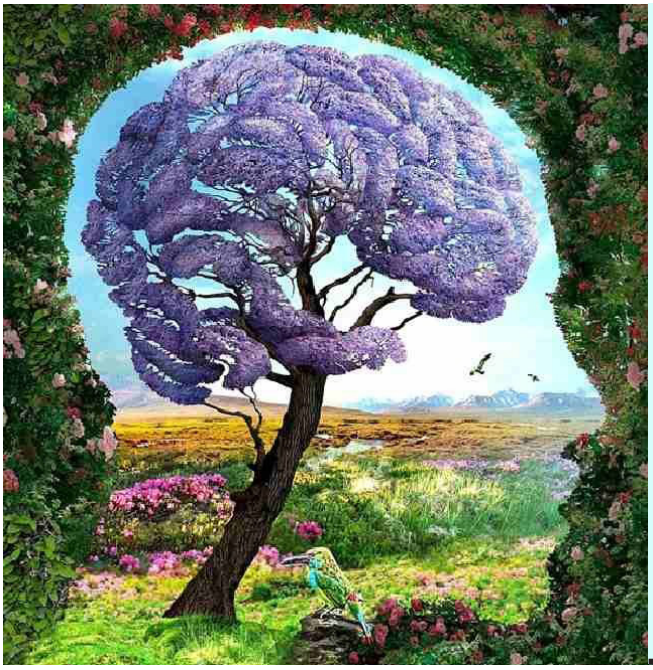

सफल हो गया, जिसने उसे विकसित किया

सौंदर्य बोध



तबाना नूरी

“और आत्मा और जैसा कुछ उसे संवारा, फिर उसके दिल में डाली उसकी बुराई और उसकी परहेज़गारी। सफल हो गया जिसने उसे (अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व को) विकसित किया, और असफल हुआ जिसने उसे दबा दिया।”

(क़ुरआन, 91:7-11)

हमारे जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव भी उतने ही स्वाभाविक हैं, जितना कि मौसम का बदलना, पेड़-पौधों का मुरझाना और दोबारा उन पर नई कोपलें फूटना। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को सहजता से स्वीकारता है, वह सुख-दुख दोनों ही स्थितियों में संतुलित और सकारात्मक रहता है पर कुछ लोग ऐसी मुश्किलों से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। उनका आत्मबल कमज़ोर पड़ने लगता है। विधाता ने हम सभी को विपरीत परिस्थितियों से जूझने की शक्ति समान रूप से दी है पर कुछ लोग अपने अंतर्मन की इस ताक़त को पहचान नहीं पाते और ऐसे ही लोग राह में आने वाली छोटी-छोटी बाधाओं से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं।

अगर हम अच्छी सोच के साथ जीना सीख जाएं तो बुरी स्थितियां अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे लोग हर हाल में शांत और संयमित रहते हैं। अपने मन को हर हाल में संयमित रखना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह सच है कि मानव मन बेहद चंचल है। इसकी गति बिजली से भी तेज़ है। आम बोलचाल की भाषा में जब हम मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें उसके शाब्दिक अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनोबल बढ़ाने का वास्तविक अर्थ अपनी बुद्धि-विवेक को बलवान बनाने से है। मन को अगर कोई क़ाबू कर सकता है तो वह है बुद्धि। मन में अलग-अलग भाव उत्पन्न होते हैं। कुछ अच्छे तो कुछ बुरे।

भय, क्रोध और चिंता इत्यादि बुरे भाव हैं। प्रेम, सेवा, ईशपरायणता, दान और निर्भयता अच्छे भाव हैं, जो हमेशा सद्बुद्धि से ही आते हैं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि मन के अवगुणों को दूर कर अच्छे गुणों को कैसे उत्पन्न किया जाए। घर-गृहस्थी, व्यापार या कार्यालय में कई बार मनुष्य का मनोबल कमज़ोर पड़ जाता है। डर के कारण वह अपने जीवन के उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, जहां पहुंचना उसका उद्देश्य था।

जैसे ही आपके सद्गुणों की वृद्धि होगी, आप बड़े से बड़े संकटों से जूझने में सक्षम हो जाएंगे पर इसके लिए व्यक्ति के मन में धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान एक साधना है, जिसे जीवन भर ऐसे ही अंगीकार करना पड़ता है जैसे कि स्वस्थ शरीर पाने के लिए हम नियमित व्यायाम एवं अन्य गतिविधियों को अपनाते हैं। सच तो यह है कि कमज़ोर

मनोबल बाहरी मुश्किलों से भी ज़्यादा नुक़सानदेह होता है। ज़रा अपने अतीत में झांक कर देखें कि इससे पहले भी जब कभी आपके जीवन में कोई परेशानी आई तो क्या आप उस समस्या से बाहर नहीं निकले? पिछले कुछ वर्षों में आने वाले दुखों को तो आप याद रखते हैं पर अनगिनत सुखों को भुला देते हैं।

आज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह कुछ दिनों के बाद अतीत का हिस्सा हो जाएगा। इसलिए मुश्किल हालात में भी हमें यही सोचना चाहिए कि आज हमारे साथ जो भी हो रहा है उसमें भी भविष्य के लिए कोई न कोई अच्छाई ही छिपी होगी।

आत्म-सम्मान के साथ जीने की कला हमारी बुद्धि को प्रबल बनाती है। बुरे से बुरे वक़्त में भी आप दूसरों से दया पाने की उम्मीद कभी न रखें। हम सबका ईश्वर एक ही है। जिस तरह किसी भी वस्तु का मंथन करने पर उसमें मौजूद नुक़सानदेह तत्व विष की तरह बाहर निकल आते हैं, ठीक उसी तरह अपने मन में मौजूद भावनाओं का मंथन करने के बाद उनमें से कुछ नकारात्मक बातें भी बाहर निकल आती हैं, जो व्यक्ति का मनोबल कमज़ोर कर सकती हैं। चाहे घर-परिवार हो या दफ़्तर, हर जगह अपनी ज़िम्मेदारियों और संबंधों का निर्वाह करते हुए हमारे मन में हमेशा यही भाव होना चाहिए कि यह मैं स्वयं नहीं कर रहा, प्रकृति ने मुझे इस कार्य के लिए बनाया है। कर्म जब पालनहार प्रभु के लिए किया जाएगा तो मनोबल कैसे कम होगा? इसके विपरीत जब केवल निजी स्वार्थ के लिए ही कर्म किया जाएगा तो मनोबल कैसे बढ़ेगा ?

व्यक्ति के मन में छिपी शक्ति को जगाने के लिए ईशपरायणता का आदर्श का तेज चाहिए। मनुष्य अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करता, यह अनुभव-सिद्ध बात है, और यह भी सत्य है कि कोई भी मनुष्य जितना समझता है, उसमें कहीं अधिक शक्ति उसके भीतर होती है। मनुष्य के अंदर शक्ति का अक्षय भंडार है, लेकिन अपने से पूरा काम लेना बहुतों



को आता ही नहीं। रेगिस्तान के उदर में पानी का भंडार भरा पड़ा, लेकिन ज़मीन में नल डालकर पानी को सतह पर न लाया जाए, तो रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहेगा। आत्म-शक्ति के विषय में पवित्र ग्रंथ क़ुरआन ने बहुत अच्छी बात कही है, जिसका उल्लेख करना यहां यथोचित होगा-

"और आत्मा और जैसा कुछ उसे संवारा, फिर उसके दिल में डाली उसकी बुराई और उसकी परहेज़गारी। सफल हो गया जिसने उसे (अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व को) विकसित किया, और असफल हुआ जिसने उसे दबा दिया।" (क़ुरआन, 91:7-11)

किसी भी कार्य की सफलता का मापदंड, उस काम के मूल में स्थित प्रेरक बल है और मनुष्य के व्यक्तित्व का मापदंड उसका जीवन-ध्येय है। तुम्हारा जीवन-ध्येय तुम्हारी यात्रा की दिशा निश्चित करेगा और जो तुम्हें इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा और शक्ति देगा, दुख में सहनशीलता और सुख में विवेक सुझाएगा, जीवन में सफलता दिलाएगा। तुम्हारा जीवन-ध्येय तुम्हें प्रेरित करने वाला बल है।

यह जीवन एक ऐसी रणभूमि है, जहां प्रतिदिन युद्ध हो रहा है। बाहरी युद्ध में तो हमें अपने शत्रुओं का पता होता है, लेकिन इस युद्ध में तो अस्ली शत्रु हमारा मन ही है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे युद्ध में हम जीतें कैसे? इसके लिए हमें अपने अंतःकरण में भी वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा जैसे कि बाहरी युद्ध के लिए हम ख़ुद को हथियारों से लैस करते हैं। उसी तरह मन के भीतर चलने वाले युद्ध में हमें ईशपरायणता का कवच पहनना पड़ेगा। केवल ईशपरायणता ही हमें इस युद्ध में विजय दिला सकती है। इससे न केवल हमारा आत्मबल बढ़ेगा, बल्कि हमारे जीवन से अज्ञान का अंधकार भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सत्य, ज्ञान और ईशपरायणता से ही हम जीवन का वास्तविक सुख हासिल कर सकते हैं। ■■



मणिपुर हो या मेवात

कब बुझेगी नफ़रत की आग?

मणिपुर और उसके बाद मेवात की हालिया सांप्रदायिक एवं जातीय हिंसा ने देश के आम जनमानस को हिलाकर रख दिया। मणिपुर में हिंसा का जो रूप देखने को मिला उसने पूरी दुनिया के सभ्य समाज को झकझोर कर रख दिया। मर्यादा की सारी हदें पार कर इन्सान हैवानों से भी बदतर नज़र आए। दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनसे बदसलूकी करते वहशी पुरुषों की भीड़ का वीडियो देख लोग दहल गए। सामंती व्यवस्थाओं और मध्य युग में ग़ुलाम महिलाओं के साथ जो पाशविक व्यवहार होता था, यह उसकी एक झांकी थी।

चिंता की बात यह है कि आपसी भरोसे को कलंकित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वे बार-बार और

मुख्य स्तम्भ



सुफ़ियान अहमद

जगह-जगह हो रही हैं। इससे हमारा सामाजिक तानाबाना और बिगड़ रहा है। उसमें गांठें पड़ रही हैं। शायद ही देश का कोई ऐसा राज्य हो जहां से अप्रिय ख़बरें न आती हों। ऐसी ख़बरें समाज और सरकार में गहराई से पैठ कर चुकी जड़ता, अविश्वास और घोर निष्क्रियता को ही उजागर कर रही हैं। आम जन भय और दहशत के साये में जीने को विवश हैं।

मूल समस्या : हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा के मौजूदा परिदृश्य के मद्देनज़र यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसी हिंसाएं आख़िर क्यों होती हैं? इन हिंसाओं से किसे फ़ायदा होता है? हमारा समाज इतना अराजक एवं आक्रामक क्यों होने लगा है? वास्तविकता यह है कि जब भी किसी समाज में आपसी विश्वास और परस्पर संवाद की कमी हो जाती है, तो उसमें तनाव बढ़ जाता है, जो बाद में हिंसा के रूप में सामने आता है।

परस्पर संवाद और आपसी विश्वास तभी संभव होता है जब इसके लिए अनुकूल सामाजिक माहौल क़ायम रहे। परिस्थितियां जब प्रतिकूल होने लगती हैं, तो हिंसा के लिए ज़मीन तैयार होने लगती है। हरियाणा के मेवात में अभी जो

सामाजिक संबंध यदि उदार होते हैं, तो वे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये संबंध जब संकुचित हो जाते हैं तो सामाजिक टकराव के लिए खाद-पानी का काम करते हैं। सामाजिक असुरक्षा की भावना, परस्पर संवाद की कमी, आपसी अविश्वास, अस्मिता का संकट आदि सब मिलकर नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देते हैं। जब क़ानून बनाने वाले और संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले दिन रात हिंदू-मुस्लिम, मैतेई कुकी, अगड़े पिछड़े और अशरफ़ और पसमांदा करने लगते हैं तब धीरे-धीरे समाज के अंदर एक दूसरे समुदाय के लिए वैमनस्य बढ़ता जाता है। अंदर ही अंदर जो नफ़रत काफ़ी दिनों तक सुलगती रहती है वह ज़रा-सी हवा पाते ही कभी मणिपुर तो कभी मेवात बन जाती है।

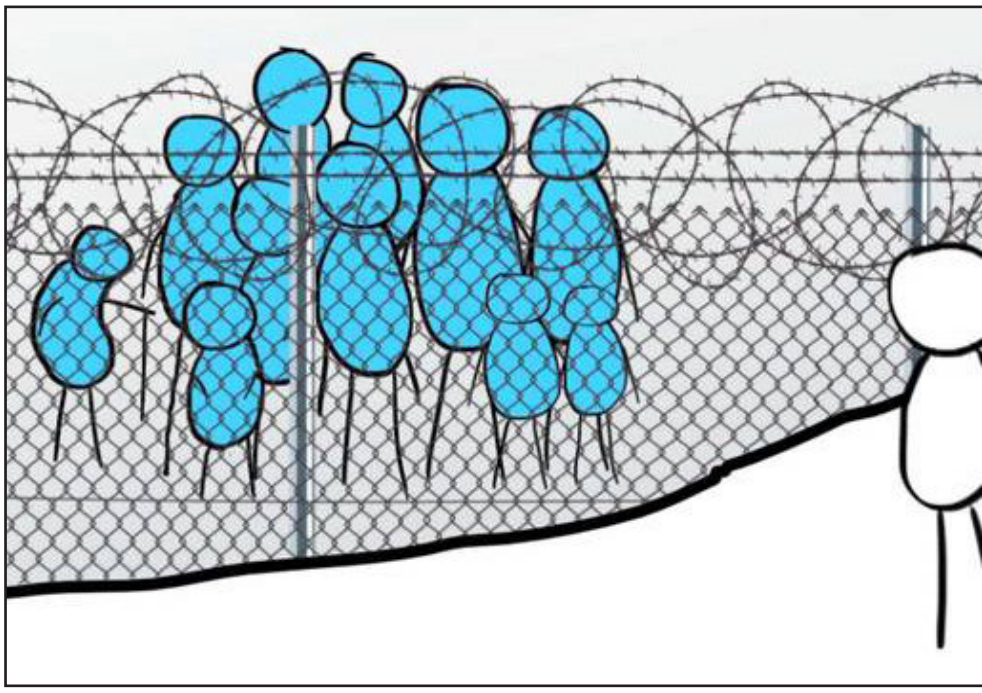

कुछ हुआ, उसका कारण भी यही सब है। सांप्रदायिक कटुता एवं कट्टरता का एक महत्वपूर्ण कारण है, समाज का जड़ होते जाना। लचीले समाज में संवाद की संभावना बनी रहती है। जिस समाज में जितना लचीलापन होता है, उसमें संवाद की गुंजाइश उतनी ही अधिक होती है। समाज के संकुचित होते ही वह रूढ़ होने लगता है। अस्मिताओं के टकराव एवं सामाजिक असुरक्षा के भय से लोगों में तनाव पैदा होता है। यह अविश्वास बढ़ाने का एक प्रमुख कारक है, और जब अविश्वास बढ़ता है, तब तनाव व हिंसा के लिए जगह बनने लगती है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से जो कुछ हो रहा है, उसका कारण यही सामाजिक सुरक्षा का संकट है। कुकी और मैतेई, दोनों समुदायों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दोनों को शासन में पर्याप्त जगह और सत्ता में उचित भागीदारी चाहिए।

सामाजिक संबंध यदि उदार होते हैं, तो वे लोगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन ये संबंध जब संकुचित हो जाते हैं तो सामाजिक टकराव के लिए खाद-पानी का काम करते हैं। सामाजिक असुरक्षा की भावना, परस्पर संवाद की कमी, आपसी अविश्वास, अस्मिता का संकट आदि सब मिलकर नकारात्मक माहौल पैदा करते हैं और सामाजिक ताने-बाने को तोड़ देते हैं।

हिंसा के उत्प्रेरक : जब क़ानून बनाने वाले और संविधान की रक्षा की शपथ लेने वाले दिन रात हिंदू-मुस्लिम, मैतेई कुकी, अगड़े-पिछड़े, अशरफ़ और पसमांदा करने लगते हैं तब धीरे-धीरे समाज के अंदर एक-दूसरे समुदाय के प्रति वैमनस्य बढ़ता जाता है। अंदर ही अंदर जो नफ़रत काफ़ी दिनों तक सुलगती रहती है वह ज़रा-सी हवा पाते ही कभी मणिपुर, तो कभी मेवात बन जाती है। नफ़रत का ज्वालामुखी फटने का दुष्परिणाम हमारा समाज भीषण दंगों के रूप में भुगतता है। हमारे सामने अतीत के दंगों की बहुत-सी भयानक कहानियां भविष्य में सीख के लिए मौजूद हैं।

हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा का

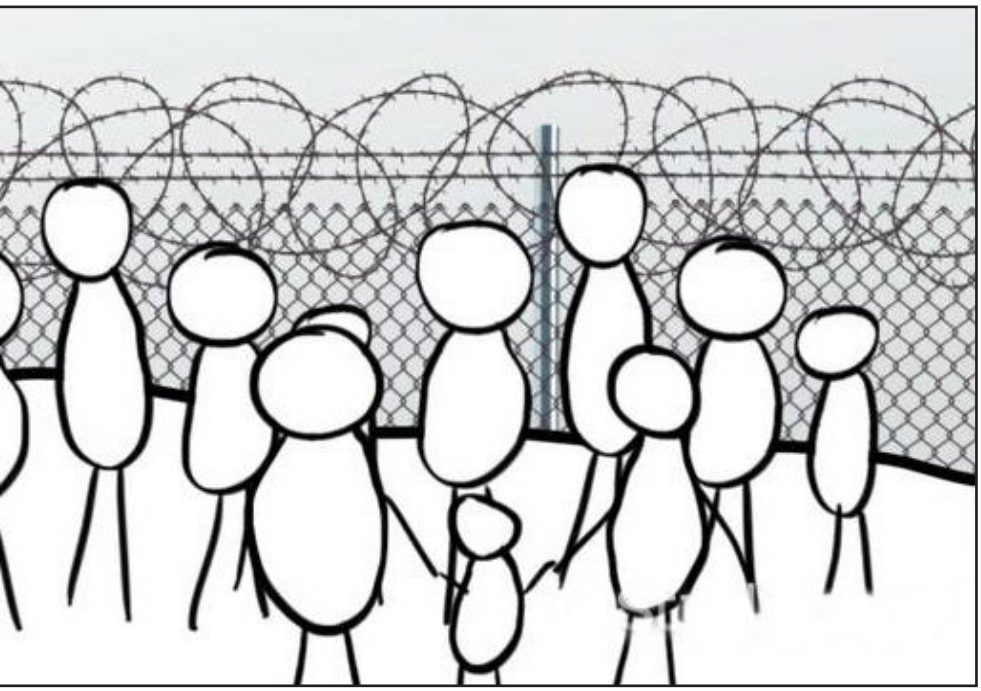

जो माहौल बना दिया जाता है उसका दंश कोई एक व्यक्ति या परिवार नहीं भोगता, पूरा समाज इस घाव की टीस महसूस करता है। जिस परिवार का कोई अपना हिंसा में जान गंवाता है, उसके लिए तो यह जीवन भर का दुख होता है। इतना ही नहीं, इससे एक तरह का सामाजिक भय भी पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी अपने को दंगे में खोता है, उसे हमेशा खोने का डर बना रहता है। यह भय बाद में कभी ख़त्म न होने वाला दुख बन जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंसा की चपेट में जो लोग नहीं आते, वे इससे प्रभावित नहीं होते।

सामाजिक संरचना के दरकने के असर से देश और समाज लंबे समय तक कराहता रहता है। बेशक, हिंसक घटनाएं अथवा दंगे क्षणिक होते हैं और कुछ समय के बाद थम जाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बरसों तक बना रहता है, लोग मानसिक तौर पर इससे बाहर नहीं निकल पाते। इससे समुदायों के बीच में इतनी दूरियां पैदा हो जाती हैं कि उसे भरने में बरसों-बरस लग जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि इसकी भरपाई संभव ही नहीं है।

हिंसा के इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक संदर्भ देखना भी ज़रूरी है। हम उस संरचित माहौल की अनदेखी नहीं कर सकते, जिसमें संवाद की जगह हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा हो। दुर्भाग्य यह है कि अब हिंसा का राजनीतिक इस्तेमाल नैतिकता की सारी हदें पार करता जा रहा है। बीते दिनों हम सबने संसद में देखा कि मणिपुर के मामले की गूंज संसद में कैसे गूंजे और उस गूंज का श्रेय कैसे लिया जाए? यही मुख्य राजनीतिक प्रश्न बन गया। जबकि पीड़ितों के दुख-दर्द और मुश्किलों को कैसे कम किया जाए? सामान्य जनजीवन कैसे बहाल हो? लोग इधर-उधर शिविरों को छोड़ अपने-अपने घरों में वापस लौट आएं? ये सभी प्रश्न रसातल में चले गए।

संसद में सार्थक विमर्श के अलावा सब कुछ हुआ। मणिपुर के घटनाक्रम

परस्पर संवाद और आपसी विश्वास तभी संवभ होता है जब इसके लिए अनुकूल सामाजिक माहौल क़ायम रहे। परस्थितियां जब प्रतिकूल होने लगती हैं, तो हिंसा के लिए ज़मीन तैयार होने लगती है। हरियाणा के मेवात में अभी जो कुछ हुआ, उसका कारण भी यही सब है। अस्मिताओं के टकराव एवं सामाजिक असुरक्षा के भय से लोगों में तनाव पैदा होता है। यह अविश्वास बढ़ाने का एक प्रमुख कारक है, और जब अविश्वास बढ़ता है, तब तनाव व हिंसा के लिए जगह बनने लगती है। मणिपुर में पिछले कई महीनों से जो कुछ हो रहा है, उसका कारण यही सामाजिक सुरक्षा एवं अस्मिता का संकट है। कुकी और मैतेई, दोनों समुदायों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। दोनों को शासन में पर्याप्त जगह और सत्ता में उचित भागीदारी चाहिए।

की गंभीरता सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ख़ेमों के सांसदों ने स्वीकारी, लेकिन उस पर आवश्यक चर्चा के लिए दोनों ख़ेमे सहमति के किसी बिंदु पर नहीं पहुंच सके। इन सबसे यही लगता है कि सहिष्णुता, पारदर्शिता और भरोसे के स्तर पर जो परिपक्वता आनी चाहिए, वह नहीं आ पा रही है।

अस्मिता से जुड़े हितों की उपेक्षा : हिंदू-मुस्लिम हो या मैतेयी और कुकी, समुदायों की अस्मिता एवं उससे जुड़े हितों को न समझना और उनकी उपेक्षा करना ख़तरनाक साबित होता जा रहा है। आज हम अपने समुदाय को श्रेष्ठ और दूसरे को ख़राब साबित करने में जुटे हुए हैं। इस दौड़ में हम एक-दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। इससे हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक पूंजी का ह्रास होने लगा है और हमारा मूल्यबोध धुंधला पड़ने लगा है।

ऐसे में व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की आंतरिक चुनौतियां हमें आचार और विचार दोनों ही दृष्टियों से आत्मावलोकन के लिए आवाज़ दे रही हैं। मनुष्यता, सामाजिकता और स्वतंत्रता के मूल्य हमसे कुछ दायित्वों की भी अपेक्षा करते हैं, जिनके अभाव में हम आगे क़दम नहीं बढ़ा सकते। विचारों की लाचारी और आचार की मजबूरी के बीच हमें बीच का रास्ता ढूंढ़ना ही होगा।

भारत जैसे सामाजिक, भौगोलिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता वाले देश में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिस देश की बहुसंख्यक आबादी ग़रीब है वहां नफ़रत से उपजी हिंसा पहले से ही अभावों से जूझ रहे लोगों के लिए मुसीबतों के नए पहाड़ खड़े कर देती है। इसीलिए, हिंसा पर जल्द से जल्द क़ाबू पाने और तनाव के कारकों को दूर करने की वकालत की जाती है, ताकि सामुदायिक विश्वास पटरी पर लौट सके। यह दायित्व प्रशासन का है कि वह तनाव को जन्म देने वाली स्थितियों का दमन करे।



हम सभी को यह समझना ही होगा कि शांति और सद्भाव का वातावरण ही देश और समाज के हित में है। यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता तो देश का दुर्भाग्य निश्चित है। अतः हमें हर हाल में सामाजिक बहाव को जड़ होने से रोकना होगा। नफ़रत से उपजी हिंसा के रथ पर सवार होकर कोई भी समाज तरक़्क़ी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। सांप्रदायिक या जातीय हिंसा समाज में मौजूद चंद दुष्ट लोगों के हितों को साधने के लिए तो कारगर साबित हो सकती है, लेकिन समाज के व्यापक हित एवं विकास के लिए अहिंसक समाज का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है, जिसकी परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी।

■■

यदि समाज अपने नैतिक और नागरिक दायित्वों को लेकर नहीं चेतता तो देश का दुर्भाग्य निश्चित है। अतः हमें हर हाल में सामाजिक बहाव को जड़ होने से रोकना होगा। सांप्रदायिक या जातीय हिंसा समाज में मौजूद चंद दुष्ट लोगों के हितों को साधने के लिए तो कारगर साबित हो सकती है, लेकिन समाज के व्यापक हित एवं विकास के लिए अहिंसक समाज का निर्माण ही एकमात्र विकल्प है, जिसकी परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की थी।

सांप्रदायिकता : सामाजिक जड़ता का संकेत

अभिमत



डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत मूलतः विविधताओं का देश है, विविधताओं में एकता ही यहां की सामासिक संस्कृति की स्वर्णिम गरिमा को आधार प्रदान करती है। वैदिक काल से ही सामासिक संस्कृति में अंतर और बाह्य विचारों का अंतर्वेशन ही यहां की विशेषता रही है, इसलिये किसी भी सांस्कृतिक विविधता को आत्मसात करना भारत में सुलभ है। इसी परिप्रेक्ष्य में धार्मिक सहचर्यता भी इन्हीं विशेषताओं में से एक रही है, इसका अप्रतिम उदाहरण सूफ़ीवाद में देखा जा सकता है जहां पर इस्लामिक एकेश्वरवाद और भारतीय धर्मों की कुछ विशेषताओं का स्वर्णिम संयोजन हुआ तथा परिणामस्वरूप एक संश्लेषित धार्मिक वैचारिकता का सफल अनुगमन हुआ। किंतु हाल के वर्षों में भारत की सांस्कृतिक विविधता-सांस्कृतिक विषमता में अंतरित हो रही है, जिससे लोगों के मध्य सद्भाव में ह्रास के साथ ही सांस्कृतिक विशेषता पर भी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा, झड़पों में बीते साल के मुक़ाबले ज़बरदस्त उछाल आया है। बीते कुछ दिनों में भारत के अलग-अलग राज्यों से एक के बाद एक सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से सबसे हालिया घटना मणिपुर और हरियाणा के मेवात की है। मेवात जहां ब्रजयात्रा के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़की जिसमें छह लोगों की जान चली गई और बड़े पैमाने पर



लोग इसमें घायल हो गए। मृतकों और घायलों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले कुछ महीनों से बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण सुर्खियों में है। वहां अब तक लगभग डेढ़ सौ से ज़्यादा जानें गईं और सैकड़ों मकान फूंक डाले गए। लाखों लोगों ने जान बचाकर राहत शिविरों में शरण ली या दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। वहां रहने वाले मैतेई और कुकी जनजाति के बीच परस्पर भरोसे की दीवार ढह गई। हालांकि दोनों समुदाय पहले से ही एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन इन जातीय दंगों ने उनके बीच अब बड़ी खाई खोद दी है।

दोनों प्रमुख समुदायों में नफ़रत की भावना इस क़दर घर कर गई है कि दोनों एक-दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। विभिन्न टिप्पणीकार इस भयावह हिंसा और मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं के कारणों का विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बरक़रार है कि देश में सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं इतनी क्यों बढ़ी हैं?

एक राजनीतिक दर्शन के रूप में सांप्रदायिकता की जड़ें भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता में मौजूद हैं। भारत में सांप्रदायिकता का प्रयोग सदैव ही धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा और हिंसा के आधार पर विभाजन, मतभेद और तनाव पैदा करने के लिये एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया गया है। सांप्रदायिक हिंसा एक ऐसी घटना है जिसमें दो अलग-अलग धार्मिक समुदायों के लोग नफ़रत और दुश्मनी की भावना से लामबंद होते हैं और एक-दूसरे पर हमला करते हैं। देश में फेक न्यूज़ के तीव्र प्रसार से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सोशल मीडिया हिंसा के माध्यम से दंगों और हिंसा के ऑडियो-विज़ुअल का प्रसार काफ़ी सुगम और तेज़ हो गया है। हिंसा से संबंधित ये अमानवीयता ग्राफ़िक चित्रण आम जनता में अन्य समुदायों के प्रति घृणा को और बढ़ा देते हैं।

पत्रकारिता की नैतिकता और तटस्थता का पालन करने के स्थान पर देश के अधिकांश मीडिया हाउस विशेष रूप से किसी-न-किसी राजनीतिक विचारधारा के प्रति झुके हुए दिखाई देते हैं, जो बदले में सामाजिक दरार को चौड़ा करता है। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिये सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में राजनीति का सांप्रदायीकरण भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा की तीव्रता को बढ़ाता है। भारतीय लोगों में आमतौर पर मूल्य-आधारित शिक्षा का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण वे बिना सोचे-समझे किसी की भी बातों में आ जाते हैं और अंधानुकरण करते हैं।



विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, ग़रीबी और बेरोज़गारी आदि कारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है, परिणामस्वरूप अपनी ज़रूरतों/हितों को पूरा करने के लिये लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों, जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है, का सहारा लिया जाता है। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी या एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के सदस्यों का उत्पीड़न आदि के कारण उनमें भय, शंका और ख़तरे का भाव उत्पन्न होता है। इस मनोवैज्ञानिक भय के कारण लोगों के बीच विवाद, एक-दूसरे के प्रति नफ़रत, क्रोध और भय का माहौल पैदा होता है।

सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं।



सांप्रदायिक हिंसा के दौरान निर्दोष लोग अनियंत्रित परिस्थितियों में फंस जाते हैं, जिसके कारण व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का हनन होता है। सांप्रदायिक हिंसा के कारण जानमाल का काफ़ी अधिक नुक़सान होता है। सांप्रदायिक हिंसा वोटबैंक की राजनीति को बढ़ावा देती है और सामाजिक सामंजस्य प्रभावित होता है। यह दीर्घावधि में सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर नुक़सान पहुंचाती है। सांप्रदायिक हिंसा धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित करती है। सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाज़ा भुगतना पड़ता है, उन्हें अपना घर, प्रियजनों यहां तक कि जीविका के साधनों से भी हाथ धोना पड़ता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिये भी चुनौती प्रस्तुत करती है क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश के ही नागरिक शामिल होते हैं।

सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये पुलिस को अच्छी तरह से सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस तरह की घटनाओं को रोकने हेतु स्थानीय ख़ुफ़िया नेटवर्क को मज़बूत किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये शांति समितियों की स्थापना की जा सकती है जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों से संबंधित व्यक्ति सद्भावना फैलाने और दंगा प्रभावित क्षेत्रों में भय तथा घृणा की भावनाओं को दूर करने के लिये एक साथ कार्य कर सकते हैं। यह न केवल सांप्रदायिक तनाव बल्कि सांप्रदायिक दंगों को रोकने में भी मददगार साबित होगा। देश के आम लोगों को मूल्य आधारित शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वे आसानी से किसी की बातों में न आ सकें। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावाद के मूल्यों के साथ-साथ वैज्ञानिकता (एक मौलिक कर्तव्य के रूप में निहित) और तर्कसंगतता के आधार पर स्कूलों और कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने, मूल्य-उन्मुख शिक्षा पर ज़ोर देने की आवश्यकता है जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

मौजूदा आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार कर शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवज़ा प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये वैश्विक स्तर पर मलेशिया जैसे देशों में प्रचलित अभ्यासों का अनुसरण किया जा सकता है। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये मज़बूत क़ानून की आवश्यकता होती है। साथ ही देश के नागरिकों को ये समझने की आवश्कता है कि-*कब गीता ने ये कहा, बोला कहां क़ुरान। करो धर्म के नाम पर, धरती लहूलुहान।।*

(साभार : pravakta.com)

"कमज़ोर और विधवा महिला और मुहताज की सहायता करने के लिए दौड़-धूप करने वाला अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले की तरह है या रात्रि में खड़े रहने वाले इबादतगुज़ार या दिन में रोज़ा रखने वाले की तरह है।"

(हदीस: मुसनद अहमद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)



A Well Wisher

Dr. Rayeesa Fatima (Hyderabad)
Firdous Akhtar (Hyderabad)
Firoz Ahmad (Mumbai)
Firoz Churiwala (Mumbai)

हर एक जान का हो सम्मान

समाधान



एस. अमीनुल हसन

कुछ महीनों पहले देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेज़ी दैनिक अख़बार 'द हिंदू' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष लगभग 450 हत्याएं होती हैं। इनमें से लगभग 20 प्रतिशत हत्याएं सड़कों पर छोटी-छोटी बातों पर उग्र होने के कारण हिंसक हो जाने के परिणामस्वरूप होती हैं।

किसी रिक्शे वाले ने जगह नहीं दी, पार्किंग के दौरान विवाद हो गया, छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से टकरा गई। इस तरह की छोटी-छोटी घटनाओं पर लोग उग्र हो जाते हैं और फ़ौरन हमला कर देते हैं, जिसके नतीजे में ये हत्याएं हो जाती हैं।

क्या इंसानी जान इतनी सस्ती है? इंसानी जान के सम्मान को रौंदा जा रहा है और हाल यह है कि लगभग सभी समुदायों के लोग असंवेदनशीलता के शिकार हैं। किसी के दिल में दर्द नहीं उठता। बहुत ही कम ऐसे अच्छे लोग होंगे जो कहीं फेसबुक वाल पर कुछ लिख देते हैं, वरना असंवेदनशीलता का हाल यह है कि जब लोगों की हत्याएं हो जाती हैं तो सन्नाटा छाया हुआ होता है।

वर्ष 2019 में बंगलादेश में कॉलेज के एक छात्र ने अपनी सरकार की ग़लत नीति पर अपनी फेसबुक वाल पर कुछ लिखा। इसके बाद पच्चीस लड़कों ने मिलकर हॉकी और डंडों से उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पिछले साल यह ख़बर आई है कि वहां की अदालत ने पच्चीस में से पांच लोगों को उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई और बीस लोगों को मौत की सज़ा सुनाई। यह बहुत ही संतोषजनक पहलू है। हमारे सामाजिक एवं न्यायिक मूल्य हमें किसी की हत्या की अनुमति कदापि नहीं देते। धार्मिक शिक्षाओं में भी यह बात बताई गई है कि हत्या एक बहुत ही बड़ा अपराध है। बाइबल और तौरात में भी यह कहा गया है कि-'तुम हत्या नहीं करोगे।' ईश्वर ने जो दस निर्देशों का शिलालेख हज़रत मूसा (अलैहि.) को दिया था, उसमें से एक क़ानून यह भी था कि कोई किसी का क़त्ल नहीं करेगा। ''जिसने किसी एक व्यक्ति का भी क़त्ल किया, उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।'' यह तौरात की शिक्षा है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की शिक्षाओं में भी हत्या को एक बड़ा पाप एवं अपराध माना गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इस क्रूरतापूर्ण अपराध में सभी शामिल हैं।

क़ुरआन में कहा गया है-''जिसने

किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया।'' (क़ुरआन, 5:32)

इन्सानी जान के सम्मान को रौंदा नहीं जाना चाहिए। यह समाज और सरकार की ज़िम्मेदारी है कि यदि ऐसा हो तो उस रास्ते को बंद किया जाए। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिये हत्यारे का पता लगाए और जुर्म साबित होने पर उसे दंडित करे। हर दौर में सरकारों की यह ज़िम्मेदारी रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम सरकारों को उसकी ज़िम्मेदारी याद दिलाते रहें। क़ुरआन हमें बताता है कि यह सारे इन्सानों की ज़िम्मेदारी है कि यदि कोई हत्या होती है तो पीड़ित परिवार के लोगों की मदद

"जिसने किसी इन्सान को क़त्ल के बदले या ज़मीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से क़त्ल कर डाला उसने मानो सारे ही इन्सानों को क़त्ल कर दिया।" (क़ुरआन, 5:32)

होनी चाहिए और हत्या के गंभीर रास्ते को रोका जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है। क़ुरआन ने हमें बताया-

''ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए क़त्ल के मुक़द्दमों में क़िसास (बदले) का आदेश लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने क़त्ल किया तो उस आज़ाद आदमी से ही बदला लिया जाए, ग़ुलाम क़ातिल हो तो वह ग़ुलाम ही क़त्ल किया जाए, और औरत ने यह अपराध किया हो तो उस औरत से ही क़िसास लिया जाए। हां, अगर किसी क़ातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो, तो सामान्य नियम के अनुसार ख़ून के माली बदले का निपटारा होना चाहिए और क़ातिल के लिए आवश्यक है कि भले तरीक़े से ख़ूनबहा चुका दे। यह तुम्हारे रब की ओर

❊ अल्लाह और रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो जबकि वो तुम्हें बुलाते हैं उस चीज़ की तरफ जिसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। (क़ुरआन) ❊ उस शख़्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाये और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। (क़ुरआन)



हिन्दुस्तान के मशहूर दीनी-इल्मी, फिक्री और म्यारी अख़बार व रसाइल (पत्रिकाओं) का मुताला(अध्ययन)कीजिए

इस सिलसिले में हमारी ख़िदमात हासिल कीजिए :

पेपर – पत्रिका	प्रति कापी	सालाना खरीददारी
✪ कान्ति साप्ताहिक अख़बार	7/-	350/-
✪ कान्ति मासिक पत्रिका	30/-	350/-
✪ दावत उर्दू अख़बार साप्ताहिक	15/-	750/-
✪ जिंदगी–ए–नौ उर्दू महाना	35/-	400/-

सालाना खरीददारी व ग्राहक बनने के लिए राब्ता करें :

AL FALAH
True Success Both Worlds

अल फलाह

हक़ीक़ी कामयाबी दोनों जहानों में

अख़्तर नवाब
✆ 9926408118

से छूट और दयालुता है। इस पर भी जो ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। अक़्ल और समझ वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िन्दगी है। उम्मीद है कि तुम इस क़ानून के उल्लंघन से बचोगे।''

(क़ुरआन, 2:178-179)

क़ुरआन के इस दंड विधान में जीवन है, शांति है। यदि किसी ने क़त्ल किया या समाज में फ़साद बरपा किया तो क़ानूनी प्रक्रिया के तहत उसको दंड दिया जाएगा। कुछ देशों में ड्रग पेडलर (मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले) को मौत की सज़ा का क़ानून है। यह क़ानून निर्माण का मामला है। बात दरअस्ल, यह है कि क़ातिल को सज़ा दी जाए और इस सज़ा में अतिवाद से बचना चाहिए। जितनी ख़ता उतनी सज़ा दी जाए।

जिस आदमी ने क़त्ल किया केवल उसे ही दंड दिया जाएगा। उसके पूरे परिवार या समाज को इस दंड का भागी नहीं बनाया जाएगा। क़ुरआन ने कहा कि पीड़ित परिवार की मदद ज़रूर की जानी चाहिए। इस्लाम में क़िसास (बदले) का जो क़ानून है वह तर्क व बुद्धि पर आधारित है। आदमी जब ग़ौर करके देखेगा तो पता चलेगा कि जिस बंदे ने एक क़त्ल किया, उसने एक क़ानून का क़त्ल किया। उसने एक क़ानून का ख़ून बहाया। जब उस क़ानून का प्रभाव और उस क़ानून का डर ख़त्म होता है तो उसके नतीजे में दूसरा क़त्ल आसान हो जाता है। दूसरा क़त्ल हुआ तो तीसरा क़त्ल आसान होता है और तीसरा हुआ तो चौथा क़त्ल आसान होता है। यह काम सरकार का है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत क़ातिल का पता लगाए और जुर्म साबित होने के बाद उसे सज़ा दे।

कोई हिंदू, मुसलमान या किसी भी अन्य धर्म को मानने वाला यदि अपने धर्म की शिक्षाओं पर अमल नहीं करता है तो फिर वह इन्सानियत की सतह से नीचे गिरकर दरिंदा बन जाता है। इसके कारणों पर यदि विचार किया जाए तो हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में नफ़रत की सियासत परवान चढ़ रही है। सबसे पहली बात यह है कि सियासी लोग नफ़रत एवं पक्षपात की सियासत खेलते हैं, जिसके नतीजे में लोगों को एक-दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है और क़त्ल करना आसान हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि धार्मिक नेताओं का यह काम था कि लोगों को शराफ़त और इन्सानियत सिखाते। लोगों को धैर्य और इन्सानी जान का सम्मान करना सिखाते। सभी धर्म के धार्मिक नेताओं की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी धार्मिक शिक्षाओं के हवाले से लोगों को एक-दूसरे की जान और माल का सम्मान करना सिखाते, लेकिन धार्मिक तबक़े यदि ख़ुद पक्षपात की आग को भड़काना शुरू कर दें, तो फिर उस आग में देर या सवेर सब जलकर रहेंगे।

तीसरे नम्बर पर आती है हमारी फ़िल्मों की दुनिया। गत तीस-चालीस वर्षों की फ़िल्मों में आप देखिए कि फ़िल्म का जो हीरो होता है, किसी ने ज़रा भी उसका विरोध किया तो बड़ी आसानी के साथ वह आनन-फ़ानन में दसियों लाशें बिछा देता है और कोई उस पर चर्चा भी नहीं करता।

इस संबंध में कुछ रिसर्च पेपर मौजूद हैं। यह एक गंभीर मामला है कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसके जो प्रभाव हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहे हैं उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। फ़िल्मी पर्दे पर ही

"ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए क़त्ल के मुक़द्दमों में क़िसास (बदले) का आदेश लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने क़त्ल किया तो उस आज़ाद आदमी से ही बदला लिया जाए, ग़ुलाम क़ातिल हो तो वह ग़ुलाम ही क़त्ल किया जाए, और औरत ने यह अपराध किया हो तो उस औरत से ही क़िसास लिया जाए। हां, अगर किसी क़ातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो, तो सामान्य नियम के अनुसार ख़ून के माली बदले का निपटारा होना चाहिए और क़ातिल के लिए आवश्यक है कि भले तरीक़े से ख़ूनबहा चुका दे। यह तुम्हारे रब की ओर से छूट और दयालुता है। इस पर भी जो ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। अक़्ल और समझ वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िन्दगी है। उम्मीद है कि तुम इस क़ानून के उल्लंघन से बचोगे।"
(क़ुरआन, 2:178-179)

सही, हिंसा व मारकाट को जिस तरह से दिखाया जाता है उससे यह संदेश आम होता है कि इन्सानी जान सस्ती है। इस दिशा में हमें काम करने की ज़रूरत है। पढ़ने-लिखने और रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनकी भी यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वे हमारी फ़िल्मों की समीक्षा करके यह बताएं कि इसके नतीजे में हिंसा को किस प्रकार से बढ़ावा मिलता है और इसे कैसे रोका जाना चाहिए? इसे रोकने के लिए किस प्रकार के क़ानूनों की ज़रूरत है?

चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि घरों में हमारे बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं, उनमें में भी हिंसा होती है। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है कि आधे घंटे के खेल में ज़्यादा से ज़्यादा लाशों को बिछा दिया जाए, सारा स्कोर स्क्रीन पर आता रहता है।

पांचवीं और अंतिम बात यह है कि ख़ुद हमारे घरों की शिक्षाएं ख़राब हो गईं हैं। घरों में यह नहीं सिखाया जाता है कि मतभेदों को सहन करना चाहिए। किसी को घृणा की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। धर्म या किसी अन्य आधार पर हम किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकते। हर इन्सान के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। घरों में इस प्रकार की शिक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। होता यह है कि घरों के अंदर हमारी शिक्षा यह है कि हम अपने बच्चों में दूसरे धर्मों और समुदायों के लोगों के बारे में ग़लत बातें बिठा देते हैं और बड़े होने के बाद दूसरे धर्मों के लोगों से जब उनका पाला पड़ता है तो ग़ुस्सा भड़क उठता है। यह सब हमारे घरों की शिक्षाओं की ख़राबियां हैं। इसे सुधारने और इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। घरों के माहौल और बच्चों की शिक्षाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है।



ज़रूरत इस बात की भी है कि हम अपनी शिक्षा-व्यवस्था में नैतिकता और मानवता को लाएं। एक इन्सान को केवल इन्सान की हैसियत से देखा जाना चाहिए। इन्सानों से व्यवहार करते समय हमें यह नहीं देखना चाहिए कि उसका धर्म, जाति, रंग, नस्ल या समुदाय क्या है। यह देखना ख़ुदा का काम है कि उसका धर्म क्या है। हर जान और हर व्यक्ति सम्माननीय है, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। जैसा कि ऊपर मैंने बंगलादेश के अदालती फ़ैसले के बारे में उल्लेख किया, यदि इस तरह के दो चार फ़ैसले हमारे देश में भी हो जाएं, जिसमें हर प्रकार के क़ातिलों को सज़ा दी जाए तो हम देखेंगे कि इस देश की सूरतेहाल भी बदलेगी और इन्सानी जान का सम्मान बाक़ी रहेगा।

हमें इसकी संवेदनशीलता को समझना होगा। इन्सानी जान के सम्मान के सिलसिले में हमें जो कुछ भी लिखने, बोलने और अमल करने की ज़रूरत है वह सब किया जाना चाहिए।

■■

कविता

नया शिवाला

अल्लामा इक़बाल

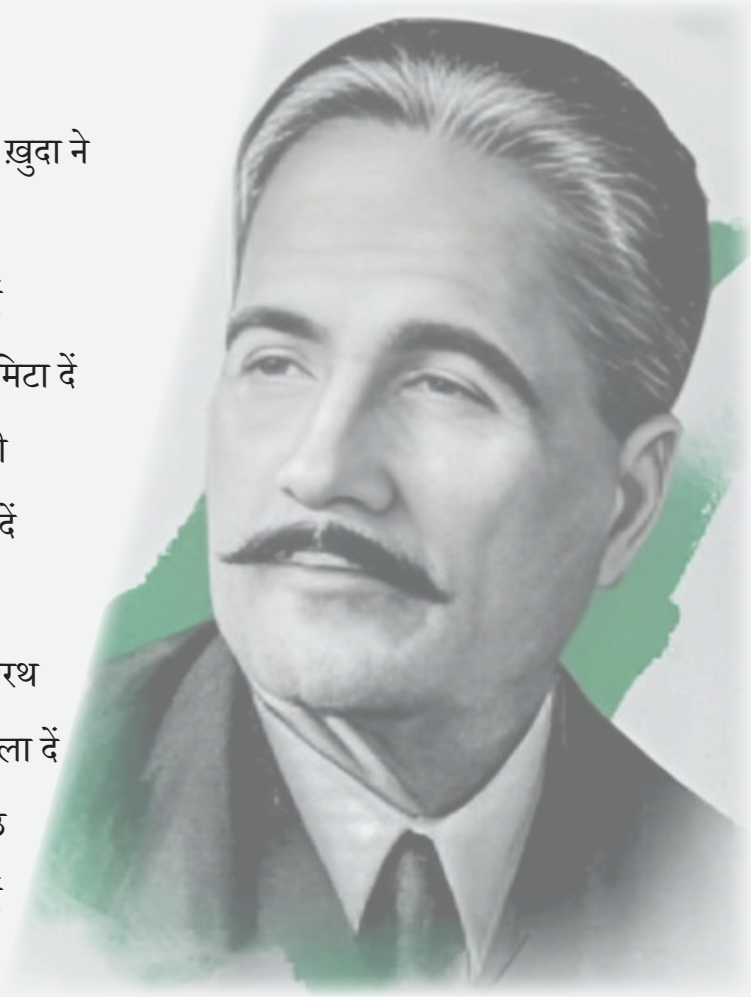

सच कह दूं ऐ बरहमन गर तू बुरा न माने
तेरे सनम-कदों के बुत हो गए पुराने
अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा
जंग-ओ-जदल सिखाया वाइज़ को भी ख़ुदा ने

आ ग़ैरियत के पर्दे इक बार फिर उठा दें
बिछड़ों को फिर मिला दें नक़्श-ए-दुई मिटा दें
सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती
आ इक नया शिवाला इस देस में बना दें

दुनिया के तीरथों से ऊंचा हो अपना तीरथ
दामान-ए-आसमां से इसका कलस मिला दें
हर सुब्ह उठ के गाएं मंतर वो मीठे-मीठे
सारे पुजारियों को मय पीत की पिला दें

शक्ति भी शांति भी भगतों के गीत में है
धरती के बासीयों की मुक्ती प्रीत में है।

कठिन शब्द -: जंग-ओ-जदल : दंगा-फ़साद, वाइज़ : उपदेशक, ग़ैरियत : अपरिचय



"जब इन्सान मर जाता है
तो उसके कर्मों का सिलसिला टूट जाता
है। अलबत्ता तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इससे
अलग हैं—जारी रहने वाला सदक़ा या
ज्ञान जिससे फ़ायदा उठाया जाए, या नेक
सन्तान जो उसके लिए दुआ करे।"
(हदीस: मुस्लिम)

A Well Wisher

- JAVED KHAN (HYDERABAD)
- MD OBAID SB. (HYDERABAD)

राष्ट्रवाद की परिकल्पना और चरमपंथ

विचार



सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी

यूरोप और अमेरिका में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के उभार तथा हमारे देश में आक्रामक राष्ट्रवाद के राजनैतिक आन्दोलन ने राष्ट्रवाद के नारों को पुनर्जीवित कर दिया है। हर जगह इस्लाम और मुसलमानों को लेकर ये प्रश्न चर्चा का विषय हैं कि वे राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना को किस दृष्टि से देखते हैं?

राष्ट्रवादी विचारधारा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद की विचारधारा अन्य आधुनिक विचारधाराओं की तरह यूरोप के पुनरुत्थान की उपज है। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आयी तो यह ठीक वही समय था जब धर्म और विज्ञान तथा आधुनिक दर्शन के बीच संघर्ष के गर्भ से आधुनिक विचारधारा जन्म ले रही थी। औद्योगिक क्रांति ने प्राचीन पारंपरिक आदिवासी संपर्कों को कमज़ोर कर दिया था। कृषि पर निर्भर देहाती समाज की जगह आधुनिक औद्योगिक समाज ले रहा था। इसी ज़माने में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी पर आक्रमण कर जर्मन बोलने वालों के स्वाभिमान को ललकारा था।



सेक्युलर विचारधारा के प्रचार से धर्म की पकड़ कमज़ोर हो जाने के कारण ईसाइयत भी लोगों को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में बाक़ी न रह गयी थी। इन सब कारकों के कारण यूरोप के आधुनिक इन्सान को समाज से जोड़ने के लिए ठोस आधार की आवश्यकता थी, अतः इन परिस्थितियों ने आधुनिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को जन्म दिया।

जब हम शब्द 'राष्ट्र' और 'राष्ट्रीयता' बोलते हैं तो उसके तीन विभिन्न अर्थ होते हैं। एक, कोई राज्य और उस राज्य का सदस्य होना, जैसे अमेरिकी राष्ट्र। दूसरा, किसी संयुक्त भाषा, नस्ल या सांस्कृतिक विरासत का धारक होना जैसे कुर्द जाति जो कई देशों में फैली हुई है और तीसरा, राष्ट्रवाद अर्थात् राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझना।

आधुनिक राष्ट्रवादी विचारधारा ने इन तीनों अर्थों को एकत्र करने का प्रयास किया। अतः राष्ट्रीयता की आधुनिक परिकल्पना आधुनिक राज्य, सर्वोपरि सत्ता, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता की धारणाओं के साथ जुड़ी हुई है। ये सब परिकल्पनाएं मिलकर आधुनिक राजनैतिक विचारधारा का गठन करती हैं। इस वैचारिकता का सार हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत वर्णित कर सकते हैं।

• व्यक्तियों के समूह अर्थात् सामाजिक अस्तित्व बनाने के लिए स्वाभाविक आधार उनकी नस्ल या जाति है। हर नस्ल के लोग परस्पर निकटता का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें मिलकर एक क़ौम बनानी चाहिए।

• हर नस्ली राष्ट्र एक स्वतंत्र राजनैतिक अस्तित्व रखता है, उसको अपने सामूहिक मामले स्वतंत्र रूप से चलाने का अधिकार प्राप्त है।

• प्रत्येक राष्ट्र को अपने सामूहिक मामले अपनी इच्छानुसार चलाने का अधिकार है, अर्थात् हर राष्ट्र के

जनसाधारण आत्मनिर्भर हैं और किसी अन्य को उनके मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

• हर राष्ट्र अपने मामलों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्र राज्य बनाएगा जो राष्ट्र के जनसाधारण तथा उनके मतों के द्वारा अर्थात् लोकतंत्र के आधार पर चलेगा।

चरमपंथी राष्ट्रवाद या फ़ासीवाद की प्रमुख विशेषताएं : चरमपंथी राष्ट्रवाद क्या है? इसको उसकी निम्नलिखित वैचारिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के द्वारा समझा जा सकता है।

1. इसमें व्यक्ति की तुलना में राष्ट्र को असंतुलित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय गौरव आदि इस राष्ट्रवाद के प्रिय विषय होते हैं और अधिकांश इन उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के हित, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानवाधिकार आदि, भेंट चढ़ाए जाते हैं और उनकी कोई चिंता नहीं की जाती। इसलिए इस प्रकार के राष्ट्रवाद को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु भी कहा जाता है।

2. चूंकि राज्य को राष्ट्रीय हित का रक्षक एवं ध्वजावाहक समझा जाता है, इसलिए राज्य को असाधारण महत्व तथा अधिकार दे दिये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप एक दमनकारी व्यवस्था स्थापित हो जाती है जो लोगों की आज़ादियों को बुरी तरह प्रभावित करती है।

3. इस दमनकारी व्यवस्था के स्थायित्व तथा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की भावना को बढ़ावा देने के लिए अतिशयोक्ति के साथ अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना पैदा की जाती है तथा यह विश्वास पैदा किया जाता है कि हमारा राष्ट्र ही संसार में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है और उसी को समस्त संसार का मार्गदर्शन तथा नेतृत्व का अधिकार प्राप्त है।

4. राष्ट्रवाद के लिए सदैव एक शत्रु



आवश्यक होता है। इसलिए राष्ट्र को जोड़ने के लिए आंतरिक एवं बाह्य शत्रु खोजे जाते हैं तथा उनके विरुद्ध अत्यंत घृणा पैदा की जाती है।

5. राष्ट्रवाद का सबसे महत्वपूर्ण हथियार इतिहास होता है। इतिहास की मनमानी व्याख्या के द्वारा राष्ट्रीय गौरव तथा शत्रु के प्रति घृणा को बढ़ाया जाता है।

6. इतिहास के वास्तविक या स्वरचित स्वर्णिमकाल से भावनात्मक लगाव के लिए प्राचीन परम्पराओं को पुनर्जीवित किया जाता है तथा ऐतिहासिक प्रतीकों से जुड़ाव का प्रयास किया जाता है।

7. राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ श्रद्धाभाव पैदा करके एक नये धर्म 'राष्ट्रवाद' का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय प्रतीकों को वही श्रद्धाभाव एवं महत्व दिया जाता है जो धर्म अपनी रीतियों को देते हैं।

8. संस्कृति, राज्य, भय, क्रोध, स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना तथा पीड़ित होने की भावना, इन छह आधारों पर ऐसी सामूहिक मनोवृत्ति तैयार की जाती है जो एक प्रकार का सामूहिक जुनून पैदा करती है।

अतः इन आधारों पर इटली में फ़ासीवादी आन्दोलन तथा जर्मनी में नाज़ी आन्दोलन का आरंभ हुआ और फिर यूरोप के सभी देशों में ऐसे उग्र राष्ट्रवादी आन्दोलन उठे। ऐसी ही विचारधारा से प्रभावित होकर, उस ज़माने में हमारे देश में भी दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी आन्दोलनों की विचारधाराओं के गठन का आरंभ हुआ। तत्पश्चात् इन आन्दोलनों ने यूरोप में विनाश किया। जर्मनी में हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में आक्रामक राष्ट्रवाद के आन्दोलन विश्व भर से भिड़े। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध का भी यह एक कारण बने और इनके परिणामस्वरूप जो तबाही आयी, उसने दुनिया के जनमत को प्रभावित किया। इस बात पर एक प्रकार का वैश्विक मतैक्य हो गया कि ऐसा आक्रामक राष्ट्रवाद विश्व के लिए घातक है, अतः जातिवाद और फ़ासीवाद अब गालियां बन गयी हैं तथा सारी दुनिया इनसे घृणा करती है।

राष्ट्रवाद की परिकल्पना और भारत : हमारे देश की विशेषता यह है कि यहां सदा से कई राष्ट्र, नस्लें और भाषाएं मौजूद रही हैं। जिस बहुसांकृतिक स्थिति का सामना यूरोप और अमेरिका को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद करना

इस्लाम ऐसी सभी परिकल्पनाओं का इन्कार करता है जो इन्सानों के बीच रंग, नस्ल, जाति, राष्ट्र आदि के आधार पर भेद करती हैं। इस्लाम का संदेश मानव एकता का संदेश है और सारे इन्सान एक पुरुष तथा एक स्त्री की संतान और आपस में भाई-भाई हैं।

पड़ा, वह स्थिति इस देश में सदियों से पायी जाती थी। इसलिए राष्ट्रवाद के नैतिक एवं वैचारिक दृष्टिकोण से परे, व्यावहारिक रूप में भी यह विचारधारा इस देश के लिए कभी व्यावहारिक नहीं रही।

यह देश कई नस्लों, जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों का देश है। यूरोप की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित होकर यहां कुछ लोगों ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक कृत्रिम परिकल्पना रचने का प्रयास किया और संस्कृति को साझा राष्ट्रीय तत्व बताया, जबकि वास्तविकता यह है कि इस देश में बसने वाले विभिन्न सामाजिक वर्गों की न केवल संस्कृतियों में बल्कि ऐतिहासिक विरासत में भी बड़ी विविधता पायी जाती है। इसलिए सच्ची बात यह है कि नस्ली या सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की परिकल्पना भारत के लिए



सदैव एक अपरिचित परिकल्पना रही है जिसका भारत के सामाजिक तथ्यों से कभी कोई संबंध नहीं रहा।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे देश में राष्ट्रीयता की जो परिकल्पना प्रस्तुत की गयी, वह लगभग वही थी जिसे आज नागरिक राष्ट्रीयता कहा जाता है। गांधी जी ने कभी नस्ली, भाषागत या सांस्कृतिक एकता को भारतीय राष्ट्रीयता का आधार नहीं बताया। वे राष्ट्रीयता का आधार, भारत के साझे और सर्वमान्य मूल्यों को बताते थे। वे भारतीय देहातों को देश की राष्ट्रीयता का द्योतक बताते थे और सादा जीवन-शैली, प्रकृति के अनुकूल, आध्यात्मिकता, सर्वमान्य नैतिक मूल्यों या उनके तीन प्रसिद्ध सिद्धांतों स्वदेशी, सत्याग्रह और स्वराज को भारतीय राष्ट्रीयता का आधार बताते थे। वे राष्ट्रवाद की इस परिकल्पना के आलोचक थे जो मानवीय समानता तथा एकता की परिकल्पना के विरुद्ध हो, अतः उनका प्रसिद्ध कथन है-

"जिस प्रकार वतनपरस्त यह उपदेश देते हैं कि एक व्यक्ति को अपने परिवार के लिए बलिदान देना चाहिए, परिवार को गांव के लिए, गांव को ज़िले के लिए, ज़िले को प्रांत के लिए और प्रांत को देश पर न्योछावर होने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी प्रकार देश को यह आज़ादी मिलनी चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो वह वैश्विक मानवीय हितों के लिए वह स्वयं का बलिदान दे। मेरी राष्ट्रीयता की परिकल्पना यह है कि मेरे देश को इस बात की आज़ादी मिलनी चाहिए कि मानव-नस्ल के स्थायित्व के लिए समय की मांग हो तो पूरा देश स्वयं का बलिदान कर सके । राष्ट्रीयता की मेरी परिकल्पना में घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। यही मेरी राष्ट्रीयता की परिकल्पना है।''

इस्लाम और राष्ट्रीयता की परिकल्पना : इस्लाम ऐसी सभी परिकल्पनाओं का इन्कार करता है जो इन्सानों के बीच रंग, नस्ल, जाति, राष्ट्र आदि के आधार पर भेद करती हैं। इस्लाम का संदेश मानव एकता का संदेश है और सारे इन्सान एक पुरुष तथा एक स्त्री की संतान और आपस में भाई-भाई हैं।

"ऐ लोगो ! हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में ईश्वर के निकट तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है जो तुम्हारे अन्दर सबसे अधिक ईशपरायण है।''

(क़ुरआन, 49:13)

क़ुरआन की उपर्युक्त आयत में मानव एकता का इस्लामी सिद्धांत वर्णित हुआ है। ■■

महिला सुरक्षा का संकल्प



मंथन



नईम अलहिन्दी

एक ऐसे समय में जब महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हों, तब यह तथ्य विचलित करने वाला है कि 2019 से 2021 के बीच यानी मात्र तीन वर्षों में देश भर में 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। ग़ायब होने वाली लड़कियों में अच्छी-ख़ासी संख्या नाबालिग़ लड़कियों की भी है। लापता लड़कियों और महिलाओं से जुड़ा यह आंकड़ा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की ओर से संकलित किया गया है और हाल में ही इसे संसद में प्रस्तुत किया गया। इसका अर्थ यह है कि महिला सुरक्षा का मामला बहुत ही गंभीर है। ग़ायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या यही बताती है कि देश के समकालीन महिला समाज में कई प्रकार की समस्याएं हैं, किन्तु महिला सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या या चुनौती कही जा सकती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, इन लापता होने वाली लड़कियों एवं महिलाओं में दलित, आदिवासी और जनजाति की संख्या अधिक है। सवाल उठता है कि आख़िर इतनी बड़ी संख्या में कहां ग़ायब हो रही हैं लड़कियां और महिलाएं? यह वह प्रश्न है, जिसका उत्तर हमारे नीति-नियंताओं के साथ ही समाज को भी देना होगा।

भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो ज्ञात होता है कि पूर्व में महिलाओं से संबंधित मामलों को उजागर नहीं होने दिया जाता था, जिसके कारण अपराध के कारणों व अपराधियों तक पहुंचना असंभव कार्य होता था। सामाजिक लोक-लाज के कारण कई बार परिवार में ही मामलों को दबा दिया जाता था। अब स्थिति बदल गई है और आज हम पातें हैं कि महिलाओं के ख़िलाफ़ दर्ज किए मामलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है।

वर्तमान में महिला अपराध एवं सुरक्षा से जुड़े जो आंकड़ें हमारे पास हैं वे तो केवल पंजीकृत मामले हैं, परंतु बड़ी संख्या में मामले पंजीकृत नहीं होने की वजह से प्रकाश में नहीं आ पाते, लेकिन

ग़ायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या यही बताती है कि देश के समकालीन महिला समाज में कई प्रकार की समस्याएं है, किन्तु महिला सुरक्षा की समस्या सबसे बड़ी समस्या या चुनौती कही जा सकती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, इन लापता होने वाली लड़कियों एवं महिलाओं में दलित, आदिवासी और जनजाति की संख्या अधिक है। सवाल उठता है कि आख़िर इतनी बड़ी संख्या में कहां ग़ायब हो रही हैं लड़कियां और महिलाएं? यह वह प्रश्न है, जिसका उत्तर हमारे नीति-नियंताओं के साथ ही समाज को भी देना होगा।

फिर भी इन आंकड़ों ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इस तरह हम कह सकते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का विषय एक गंभीर मुद्दा है। यदि इस विषय पर नहीं सोचा गया तो महिलाओं की स्थिति और बदतर हो सकती है। भारतीय समाज पूरे विश्व में कलंकित होकर रह जाएगा और महिलाएं भी लड़कियों के जन्म को लेकर विचलित रहेंगी, क्योंकि उनके लिए लड़कियों की सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन जाएगी। इस तरह समाज में लड़कियों का अनुपात लड़कों की तुलना में कम होता जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अन्य प्रकार के अपराधों को प्रोत्साहन मिलेगा।



इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती कि देश के कई हिस्सों में अभी लड़कों और लड़कियों का अनुपात संतुलित नहीं हुआ है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या का सिलसिला क़ायम है। यह सिलसिला क़ानूनों को कठोर करने के बाद भी क़ायम है। यह सही है कि हाल के वर्षों में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों को कठोर किया गया है, लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि स्थितियां सुधरी हैं?

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में कोई विशेष कमी आती नहीं दिख रही है। वे पहले की ही तरह यौन अपराधियों का शिकार बन रही हैं। छेड़छाड़, अपहरण और दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। घरेलू हिंसा के प्रकरण भी कम नहीं हो रहे हैं। इस स्थिति के लिए हमारे समाज के वे लोग ही उत्तरदायी हैं, जो लड़कियों और महिलाओं के प्रति अपनी दूषित मानसिकता का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं ने अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई है वे अपने प्रति होने वाले अन्याय को किसी न किसी माध्यम से समाज के सामने रख रही हैं, ताकि अन्य महिलाएं अन्याय से बच सकें। इस तरह महिला शक्ति ने अपना महत्व तो दुनिया को समझाया है, लेकिन महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी न आना, घरेलू हिंसा का बढ़ना, आदिवासी-दलित महिलाओं एवं बालिकाओं पर अत्याचारों का बढ़ना एवं उनका लापता होना, उनकी सुरक्षा ख़तरे में होना-ऐसे चिन्तनीय प्रश्न हैं, जिन पर सरकार एवं समाज को चिंतन करना होगा और ठोस व्यवस्था बनानी होगी। समाज की सोच बदले बिना महिला शक्ति एवं सम्मान की बात अधूरी ही रहेगी। इस अधूरी सोच को बदलना नए भारत का संकल्प होना चाहिए।

किसी भी समाज का अस्तित्व महिलाओं के अस्तित्व के बिना असंभव है। महिलाएं देश की आधारशिला हैं।

महिला सुरक्षा के संदर्भ में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने एवं यौन-उत्पीड़न के सवालों पर बहस क्यों नहीं छेड़ी जाती? बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों को

देश और समाज तभी सशक्त बनता है जब वहां महिलाएं सशक्त हों। किसी भी समाज की प्रतिष्ठा इससे बनती है कि वह नारी सम्मान के प्रति कितना सचेत और संवेदनशील है। भारत विकास के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी कई हिस्सों में महिलाओं को लेकर ग़लत धारणाएं बनी हुई हैं। ग़ायब होती लड़कियों और महिलाओं की बड़ी संख्या वाक़ई चिंताजनक है इस चिंता को दूर करने के लिए समाज को भी आगे आना होगा और अनिवार्य रूप से राजनीतिक वर्ग को भी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा, उनमें महिला-सुरक्षा एक अहम मुद्दा था। पार्टी ने अपने घोषण-पत्र में और प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कई वादे किए। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' का मनमोहक नारा भी दिया गया। अब लगभग 9 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी वो वादे हक़ीक़त नहीं बन सके। हर जगह महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण जारी है, जिस पर सरकार को काग़ज़ी दावे नहीं, ज़मीन पर काम करना होगा।

महिला सुरक्षा के संदर्भ में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के लापता होने एवं यौन-उत्पीड़न के सवालों पर बहस क्यों नहीं छेड़ी जाती? बहस इस बात पर भी होनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित क़ानूनों को कठोर किया गया, लेकिन क़ानून बन जाने के बाद भी स्थितियां क्यों नहीं सुधरी हैं? सवाल यह भी है कि तमाम क़ानून एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं होने के बावजूद आख़िर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाएं कहां ग़ायब हो रही हैं? हम सबको अपने अंदर झांकना होगा और स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है? इस अति संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकना दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा हो सभी मिलकर नारी सम्मान के प्रति सचेत और संवेदनशील होकर उनके लापता होने, उन पर लगातार हो रहे अत्याचारों को रोकने की दिशा में कोई प्रभावी एवं सार्थक पहल करें। ■■

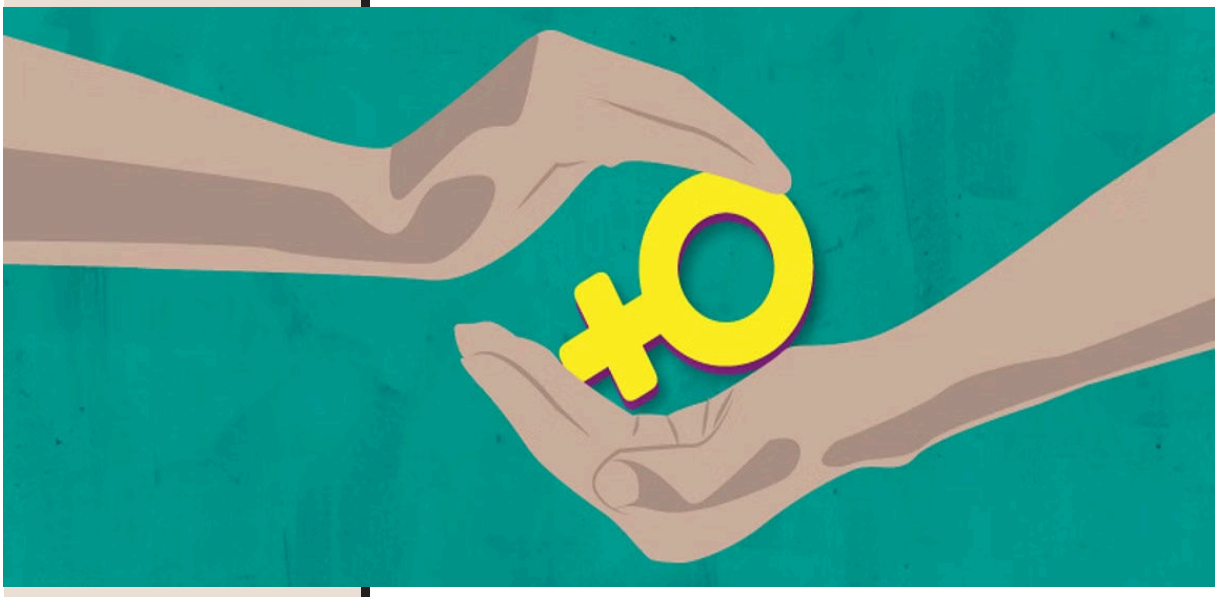

कठोर किया गया, लेकिन क़ानून बन जाने के बाद भी स्थितियां क्यों नहीं सुधरी हैं? सवाल यह भी है कि तमाम क़ानून एवं सुरक्षा व्यवस्थाएं होने के बावजूद आख़िर इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां और महिलाए कहां ग़ायब हो रही हैं? हम सबको अपने अंदर झांकना होगा और स्वयं से यह प्रश्न करना होगा कि आख़िर ऐसा क्यों हो रहा है?



समस्याओं की बाढ़

आपदा



जितेंद्र गौतम

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है।

बरसात के मौसम में बाढ़ से बड़े पैमाने पर जान-माल के नुक़सान की घटनाएं अब लगभग हर वर्ष ही देखने को मिलने लगी हैं। हाल में राजधानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि इलाक़ों में भारी बरसात और बाढ़ ने जैसा क़हर ढाया, वह सबके सामने है। इससे पहले भी बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे इलाक़ों में हर वर्ष बाढ़ बहुत तबाही मचाती रही है। अब केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिण भारतीय इलाक़ों में भी बरसात और बाढ़ की वजह से भारी क्षति होने लगी है। ऐसी आपदाओं के बाद नुक़सानों का सटीक आकलन कई बार मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि कई स्तर पर वास्तविक क्षति के ब्योरे नहीं दर्ज हो पाते हैं।

यह सही है कि बाढ़ या मौसम के अनुरूप अन्य किसी प्राकृतिक उथल-पुथल को रोका जाना संभव नहीं होता, लेकिन इससे बचाव के कुछ साधारण इंतिज़ामों के ज़रिये बहुत कुछ बचाया ज़रूर जा सकता है। विडंबना यह है कि मौसम के स्वरूप के बारे में आज विस्तृत अध्ययन की सुविधा होने और उसके बारे में काफ़ी हद तक सही पूर्वानुमानों के बावजूद अमूमन हर साल आपदाओं की वजह से जान-माल का व्यापक नुक़सान होता है। हज़ारों लोगों की जान चली जाती है, अरबों रुपये की संपत्तियां तबाह हो जाती हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में बाढ़ को सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक बताया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। उन्हें बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे उनकी आजीविका भी प्रभावित होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, भारत में हर वर्ष आने वाली बाढ़ लगभग पचहत्तर लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित और करोड़ों रुपये का नुक़सान करती है। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत में बाढ़ की वजह से लगभग 54 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। इस साल की बाढ़ ने भी हज़ारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया है।

बाढ़ महज़ अधिक बरसात के कारण नहीं, बल्कि कुप्रबंधन, अधिक खनन

और वनों की कटाई के कारण आती है। इसलिए जब तक ये कारण मौजूद रहेंगे, तब तक बाढ़ की विभीषिका और उसकी तबाही से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। यूरोपीय अकादमियों की विज्ञान सलाहकार परिषद के अनुसार, 1980 के बाद दुनिया भर में बाढ़ की घटनाएं लगभग दोगुनी हो गई हैं। इसलिए ज़रूरी है कि राहत और बचाव के इंतिज़ामों के साथ-साथ बदलते मौसम पर भी शोध होना चाहिए।

बाढ़ का एक प्रमुख कारण नदी का अतिप्रवाह (ओवरफ्लो) है। दरअस्ल, भारी वर्षा होने पर, बर्फ़ या ग्लेशियर पिघलने पर, चक्रवात या तूफ़ान आने पर, बांध या बैराज से अधिक जल छोड़े जाने या नदियों में अत्यधिक गाद जमा हो जाने के कारण नदियों में अतिप्रवाह जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण अभी हाल में दिल्ली में देखने को मिला। जब हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भारी बारिश होने के कारण यमुना नदी का जल स्तर बहुत बढ़ गया और दिल्ली स्थित बैराज यमुना नदी के इस अतिप्रवाह को नियंत्रित करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण आसपास के कई क्षेत्रों में भयंकर बाढ़ की स्थिति देखने को मिली।

नदियों एवं नालों के बहाव क्षेत्रों के आस-पास अत्यधिक अवैध निर्माण और अतिक्रमण हो जाने से वे क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। इसलिए अत्यधिक बारिश होने पर पानी का दबाव बढ़ जाता और आस-पास के क्षेत्रों में जल प्रवाहित होने लगता है, जिससे वहां जलभराव होने लगता है। कई शहरों की जल निकास प्रणालियां भी बेहतर नहीं हैं और अत्यधिक बारिश की स्थिति में उनकी क्षमता जवाब दे जाती है। कभी-कभी बांध या बैराज से पूर्व सूचना दिए बिना अचानक पानी छोड़ दिया जाता है, जिससे नदी का जलस्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसके तट पर बसे शहरों में बाढ़ आ जाती है।

किसी भी तरह के अनियंत्रित निर्माण की वजह से नदियों के रास्ते में बाधा खड़ी होती है तो बाढ़ के दिनों में उसका प्रवाह आस-पास के इलाक़ों को तबाह कर डालता है। मुश्किल यह है कि आपदा से होने वाली क्षति के लंबे अनुभवों के बावजूद अब तक बाढ़ की स्थिति में जल निकासी के पर्याप्त इंतिज़ाम से लेकर वर्षा जल संचयन की दिशा में ठोस योजनाओं को लेकर गंभीरता कम ही दिखती है।

अवैध खनन की गतिविधियों ने भी बाढ़ की समस्या को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए अवैध खनन की गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक रेत खनन से नदी के तल उथले हो सकते हैं, जिससे बाढ़ का ख़तरा बढ़ सकता है।

बरसात के मौसम में नदियों के प्रवाह और जलग्रहण क्षेत्रों में आपातकालीन बचाव इंतिज़ाम भी सिर्फ़ तब दिखते हैं, जब कोई आपदा क़हर बरपाने लगती है। जबकि अगर इसे प्रकृति की सामान्य गतिविधि के तौर पर स्वीकार कर लिया जाए तो नदियों के प्रवाह और उसके जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित करने के बजाय बचाव की पूर्व तैयारी की जा सकती है। साथ ही शहरी अवसंरचना पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नदी, नालों के बहाव क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को रोका जाना चाहिए। शहरों की जल निकास प्रणाली को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा, आपदा के दौरान आपात स्थिति में बचाव कार्यों का तंत्र ठोस तरीक़े से काम करे तो मनुष्यों और अन्य जीवों की नाहक मौत को टालने के साथ-साथ अन्य नुक़सानों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ■■



पाठ्यक्रम की पोथी में सियासत का रंग





शिक्षा विमर्श



डॉ. प्रदीप कुमार

किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वहां शिक्षा व्यवस्था कितनी चुस्त-दुरुस्त है और किस स्तर तक गुणवत्ता सुनिश्चित कर पाती है। शिक्षा हमारे जीवन और वातावरण में एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। स्कूली स्तर पर यह बच्चों के लिए ज्ञान, नैतिक मूल्यों के व्यवहार को समझने और मानवीय मानकों के गठन का एक प्रमुख स्रोत है।

इसके बहुस्तरीय आयाम हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ही है आधुनिकता और गतिशीलता का संस्पर्श लोगों को प्रदान करना। सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए शिक्षा हमें मानसिक रूप से तैयार भी करती है। शैक्षिक प्रगति से जहां नवीन विचार जन्म लेते हैं, वहीं शिक्षा से समाज में गतिशीलता आती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तनों की धुरी है और यह समाज को जड़ता से उबार कर उसे जीवंत बनाती है।

अनुपयोगी कालबाह्य छोड़कर उपयोगी आधुनिकता गढ़ना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश राज में एक लंबे समय तक हमारे देश में शिक्षा का उद्देश्य ब्रिटिश सत्ता के लिए आज्ञाकारी अधिकारी-कर्मचारी तैयार करना हो गया। देश की आज़ादी के बाद जब शिक्षा नीति बनी तो उसका उद्देश्य उदारवादी ढंग से ज्ञान परंपराओं को समाहित करके बच्चों में तार्किक, वैज्ञानिक और नवोन्मेषी दृष्टि विकसित करना था। उसी ढंग से पाठ्यपुस्तकें तैयार की गईं। उन पुस्तकों को बनाने के लिए विभिन्न अनुशासनों और चिंतन-पद्धतियों के लोगों को शामिल किया गया।

सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ्य-पुस्तकों को दलीय राजनीति और सरकारी दबाव से बिल्कुल मुक्त रखा गया। मगर पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह विभिन्न राज्यों और केंद्रीय संस्था एनसीईआरटी की किताबों में से पुराने पाठों को पूरा या आंशिक रूप से हटाने या नए पाठ जोड़ने को लेकर लगातार विवाद देखे जाते रहे हैं, उससे भारतीय शिक्षा-व्यवस्था पर स्वाभाविक ही सवाल उठने लगे हैं।

पाठ्य-पुस्तकों में राजनीतिक आग्रह या दुराग्रह आख़िरकार विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। पिछले दिनों एनसीईआरटी की पुस्तकों में से कुछ पाठ हटाए गए थे। उसे लेकर पूरे देश में ख़ासा विवाद पैदा हुआ था कि आख़िर सरकार बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है। इस संबंध में एनसीईआरटी की राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान की पुस्तकों की सलाहकार समितियों से जुड़े क़रीब तैंतीस विद्वानों ने पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन किताबों की सलाहकार समिति से उनका नाम हटा दिया जाए, क्योंकि जो किताबें उन्होंने तैयार की थीं, उनका स्वरूप अब वही नहीं रह गया है।

उधर कर्नाटक सरकार ने राज्य परिषद की पुस्तकों में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और वीर दामोदर सावरकर आदि से संबंधित पाठ पुस्तकों से निकालने और उसकी जगह नेहरू,

सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर आदि की रचनाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है। हालांकि कांग्रेस ने इसकी घोषणा अपने विधानसभा घोषणापत्र में ही कर दी थी। ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो चुकी हैं।

यह बहुत ख़तरनाक और चिंताजनक स्थिति है। बच्चों को क्या पढ़ाना है, यह इस बात से तय होता है कि भविष्य में देश को कैसा बनाना है। पहले ही शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की विसंगतियां पैदा हो चुकी हैं। अब धीरे-धीरे शिक्षा ग़रीब लोगों के हिस्से से बाहर होती जा रही है। ऐसे में अगर सरकारें पाठ्य-पुस्तकों में अपने नेताओं का महिमामंडन करने और विपक्षी दल के महापुरुषों का मानमर्दन करने पर तुल जाएं, तो आख़िर हमारे देश की नई पीढ़ी की बुनियाद कैसी होगी, अंदाज़ा लगाया जा सकता है।

जब भी पाठ्यपुस्तकें तैयार की जाती हैं तो उनमें पाठों का चुनाव करते वक़्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि उससे बच्चे को व्यावहारिक और कार्य जीवन के लिए क्या सीखने को मिल सकता है। उसमें अपने समाज, पर्यावरण, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्यों, राजनीतिक व्यवस्था आदि से जुड़े कितने आयाम वह ग्रहण कर सकता है। उससे उसकी कल्पनाशक्ति का कितना विकास हो सकता है। पुस्तकों का मक़सद सिर्फ़ शिक्षित व्यक्ति नहीं, ज़िम्मेदार नागरिक तैयार करना होता है। पुस्तकों को सियासी रंग में रंग कर यह मक़सद क्या हासिल किया जा सकता है? शिक्षा में दलगत राजनीति का प्रवेश किसी भी रूप में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता। जब सत्ताधारी दल अपना निहित स्वार्थ किताबों में भर देना चाहते हैं, तो वे किताबें सिर्फ़ बोझ बन जाती हैं, ज्ञान की पोथी नहीं।

सियासत अपने स्वार्थ के लिए सही ग़लत सब कुछ करने को तैयार है। दलगत राजनीति से रंगी हुई शिक्षा से देश और समाज को क्या लाभ होगा? भारत में प्राचीनकाल से ही शिक्षा का उद्देश्य मुक्त चिंतन आधारित संस्कार देना एवं लोकमंगल की भावना विकसित करना था। शिक्षित व्यक्ति को सृजनशील होना चाहिए और संवेदनशील भी।

पुस्तकों को सियासी रंग में रंग कर यह मक़सद क्या हासिल किया जा सकता है? शिक्षा में दलगत राजनीति का प्रवेश किसी भी रूप में बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता। जब सत्ताधारी दल अपना निहित स्वार्थ किताबों में भर देना चाहते हैं, तो वे किताबें सिर्फ़ बोझ बन जाती हैं, ज्ञान की पोथी नहीं।

आज देश में भाषा, क्षेत्र तथा जाति के नाम पर टकराव की प्रवृत्तियां पनप रही हैं। सांप्रदायिक शक्तियां सिर उठा रही हैं, देश के विकास में रोड़े डाल रही हैं। ऐसे में यदि हमारे पाठ्यक्रम नन्हें नागरिकों को निष्पक्षता के सामान्य कर्तव्य-बोध

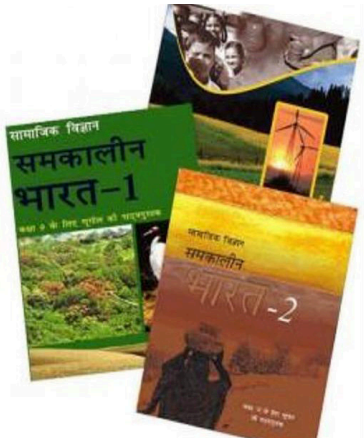

के साथ नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा सकें तो भारत का भविष्य निश्चित ही अंधकारमय होगा। रातनीतिक स्वार्थ साधने के चक्कर में कई बार देश, समाज और क़ानून की परवाह नहीं की जाती।

शिक्षा व्यक्ति को दायित्वशील नागरिक बनाने का माध्यम है, लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली न तो व्यक्ति को रोज़गार सुलभ करा रही और न ही संस्कारवान नागरिक बनाने में मदद कर रही है। ऐसी स्थिति में सहज ही यह सवाल उठता है कि ऐसी शिक्षा की सार्थकता और प्रासंगिकता क्या है? शिक्षा हासिल करने के बाद इंसान में क्या फ़र्क़ आता है। क्या वह बेहतर इंसान और देश व समाज के प्रति ज़िम्मेदार नागरिक बनकर निकलता है?

आज के भौतिकवादी माहौल ने ग़लत-सही की परख का बोध कुंद किया है। संवेदनशीलता का चतुर्दिक क्षरण हुआ है। हर तरफ़ बढ़ रही हिंसा और नैतिक गिरावट के मूल में यही बात है। इसलिए इस क्षरण को रोकना है और समाज को नैतिक पतन से बचाना है, तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना होगा। बिगड़े हुए इस माहौल में कोई रास्ता निकालना ही होगा, जिससे देश के भविष्य पर मंडरा रहे संकट को दूर किया जा सके। ■■

रक्तचाप संबंधी समस्याओं की अनदेखी न करें



हमारा हृदय रक्त को शुद्ध करने के लिए एक निश्चित गति से कार्य करता है। एक सामान्य रक्तचाप की स्थिति में हृदय को रक्त पंप करने में कोई परेशानी नहीं होती। ठीक इसके उल्टा यदि रक्तचाप बढ़ जाता है तो ऐसे में हृदय पर एक अलग दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। इसके कारण हृदय को काफ़ी तेज़ी से कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है। यह स्थिति हृदय के लिए ख़तरनाक है जो हार्ट अटैक को जन्म दे सकती है।

उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण नसों में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। यदि हेल्थ गाइडलाइंस या स्वास्थ्य निर्देशों की बात करें तो शरीर में रक्त का दबाव 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि रक्त का दबाव या प्रवाह इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो ऐसे में शरीर में उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा हो जाती है।

हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप न सिर्फ़ नसों के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों जैसे हृदय और दिमाग़ को भी नुक़सान पहुंचा सकता है। ब्लड प्रेशर की दो स्थितियां होती हैं। उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप। जब रक्त का दबाव अत्यधिक बिंदु पर होता है तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ठीक वहीं जब रक्त का दबाव या रक्तचाप सबसे निम्न बिंदु पर होता है तो उसे लोवेस्ट ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हाइपरटेंशन दो प्रकार का होता है-

1. प्राइमरी हाइपरटेंशन : प्राइमरी हाइपरटेंशन वह स्थिति है जो किसी बीमारी के चलते नहीं होती। कई बार लोगों को बढ़ती उम्र के साथ उच्च रक्तचाप की समस्या हो जाती है। इस स्थिति में लोग दवाइयों के द्वारा अपने रक्तचाप को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।

2. सेकेंडरी हाइपरटेंशन : सेकेंडरी हाइपरटेंशन वह स्थिति है जो किसी बीमारी या उसके इलाज के तहत लेने वाली गोलियों के कारण होती है।

सेहत

संपादन प्रभाग

सेकेंडरी हाइपरटेंशन कम उम्र में भी हो सकता है। इसी के साथ ये मानसिक स्थिति के सही न होने पर भी काफ़ी बढ़ जाता है।

रिसर्च के अनुसार, लोगों में प्राइमरी हाइपरटेंशन की समस्या आम तौर पर देखने को मिलती है जो लगभग 90 से 95 प्रतिशत होती है। वहीं यदि बात करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की स्थिति की तो लगभग 5 से 10 प्रतिशत लोग इस समस्या से जूझते हुए पाए जाते हैं।

उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण नसों में रक्त का प्रवाह अधिक हो जाता है। हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह एक निश्चित गति से होता है। यदि हेल्थ गाइडलाइंस या स्वास्थ्य निर्देशों की बात करें तो शरीर में रक्त का दबाव 120/80 mmHg से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि रक्त का दबाव या प्रवाह इस निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो ऐसे में शरीर में उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा हो जाती है।

ज़्यादातर लोगों में उम्र बढ़ने के साथ-साथ उच्च रक्तचाप की समस्या बढ़ती है। इसके साथ ही उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन के लिए कुछ और तत्व ज़िम्मेदार होते हैं। आख़िर ऐसे कौन से कारण हैं, जिनसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन की समस्या हो जाती है। मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन असंतुलित आहार 5. नींद की कमी 6. तनाव या डिप्रेशन 7. शारीरिक गतिविधि में कमी आदि उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं। ये सारे ही कारण उच्च रक्तचाप की समस्या को जन्म दे सकते हैं।

हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप एक ऐसी समस्या है जो कई बार लोगों में नज़र नहीं आती। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जिनमें उच्च रक्तचाप की समस्या तब पकड़ में आयी हो जब वह काफ़ी ख़तरनाक स्थिति पर पहुंच गई हो अर्थात् जब वह सिस्टोलिक स्थिति को ग्रहण कर चुकी हो। ज़्यादातर लोगों को इस बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। हाइपरटेंशन के लक्षणों को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके द्वारा उच्च रक्तचाप की समस्या को देखा जा सकता है। अत्यधिक सर में दर्द होना, छाती में दर्द या दबाव, स्पष्ट दिखाई न देना, बेचैनी या घबराहट होना, सांस फूलना, शरीर का तापमान बढ़ जाना, कभी-कभी मूत्र में रक्त आना, थकान महसूस होना, भ्रम या इलुजन की स्थिति पैदा होना, हाइपरटेंशन के प्रमुख लक्षण हैं। हाइपरटेंशन से हमारे शरीर को बहुत नुक़सान पहुंचता है–

1. हाइपरटेंशन के कारण हृदय की धमनियां नष्ट होने का ख़तरा रहता है।

2. हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के कारण धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है जिससे उनके फटने का डर बना रहता है। ये नसों और धमनियों को टाइट भी कर सकता है।

3. हाइपरटेंशन की वजह से हृदय को अधिक कार्य करने का दबाव पड़ता है जिससे कि उसके ख़राब होने का ख़तरा बना रहता है।

4. इसी तरह जब नसों में रक्त का प्रवाह तेज़ी से होने लगता है तो मस्तिष्क की कोशिकाओं और ऊतकों के ख़राब होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।

5. उच्च रक्तचाप के कारण मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये ब्रेन डेड या मस्तिष्कों को नुक़सान पहुंचा सकता है। हाइपरटेंशन की वजह से दिमाग़ में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है।

इलाज

जानकारों के अनुसार हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए कुछ निर्देश हैं जिनका पालन करना आवश्यक है-

1. जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या है उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेना ज़रूरी है।

2. हाइपरटेंशन की समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।

3. जिन दवाइयों को डॉक्टर ने लेने को कहा है उन्हें समय पर लें।

4. समय-समय पर अपने रक्तचाप को मापते भी रहें।

5. यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई अन्य इलाज चल रहा है तो ऐसे में किसी भी चीज़ या दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर को पूरी बात अवश्य बताएं।

6.चिकित्सक हाइपरटेंशन की समस्या को ख़त्म करने के लिए दवाइयां देते हैं। यदि दवाइयों से आराम नहीं हो पा रहा है या समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में चिकित्सक आपको अन्य सलाह भी दे सकते हैं।

इसके अलावा हम स्वयं कुछ उपायों को अपनाकर हाइपरटेंशन से अपना बचाव कर सकते हैं-

जीवनशैली : अपनी जीवनशैली को नियमित बनाए रखें। अपने जीवन में अनुशासन का पालन करें। हर चीज़ को समय पर करें ताकि आपको मानसिक तनाव से न गुज़रना पड़े।

व्यायाम : शरीर को फ़िट रखना काफ़ी ज़रूरी है। प्रतिदिन व्यायाम करने से न सिर्फ़ शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बल्कि फ़ालतू वसा भी शरीर से कम होती है। ये न सिर्फ़ शरीर को सुडौल रखने में मदद करता है, बल्कि व्यायाम से रक्तचाप का स्तर भी नियमित बना रहता है।

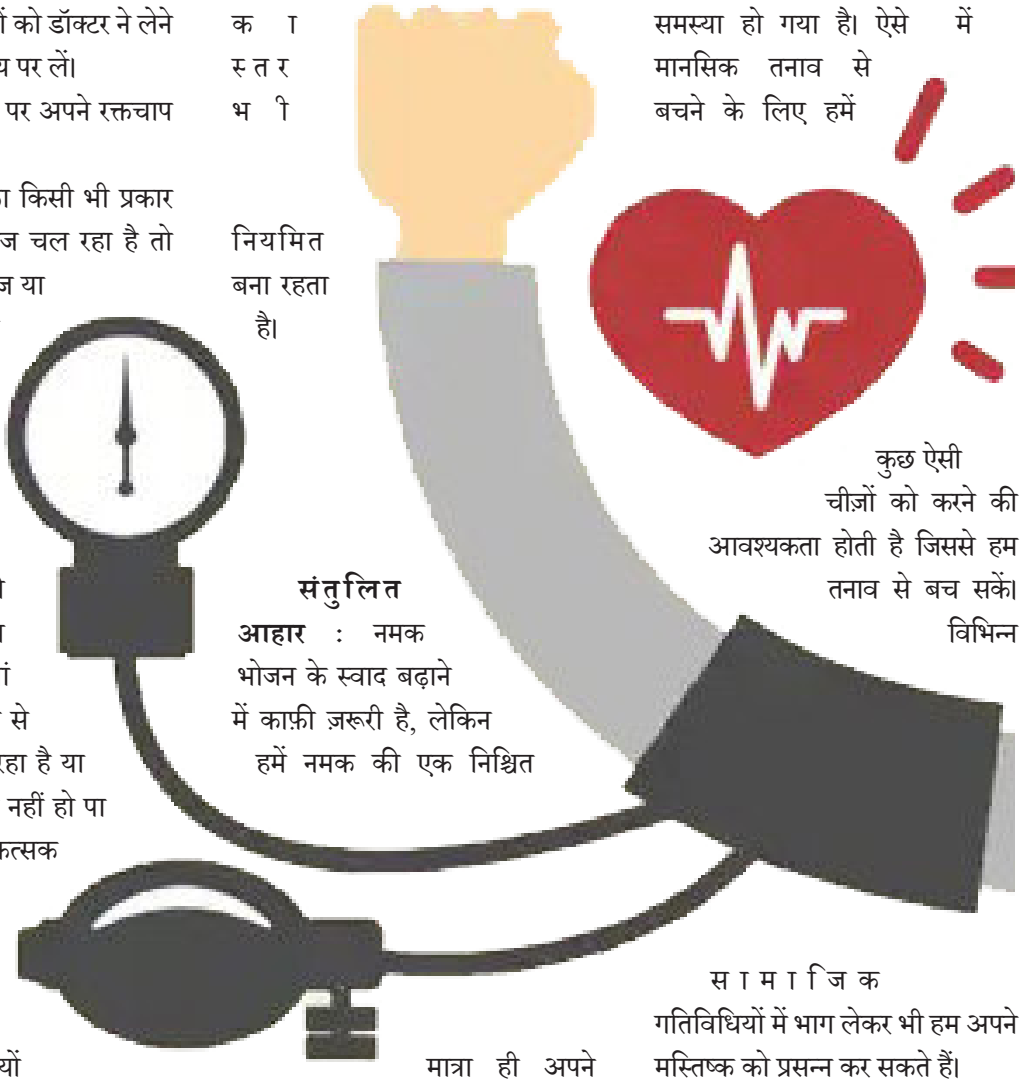

संतुलित आहार : नमक भोजन के स्वाद बढ़ाने में काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन हमें नमक की एक निश्चित मात्रा ही अपने आहार में लेनी चाहिए। यदि नमक की ज़्यादा मात्रा का सेवन किया जाए तो ऐसे में रक्तचाप की समस्या हो सकती है। वैसे भी जो लोग हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं उन्हें नमक का सेवन करने से मना किया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को हाइपरटेंशन नहीं भी है उन्हें भी नमक का इस्तेमाल सोच-समझ कर करना चाहिए। अपने आहार में सब्ज़ियां, फल, मांस और दूध को शामिल करना भी एक अच्छा उपाय है।

मानसिक तनाव कम करें : आजकल की तनाव से भरपूर ज़िंदगी में रक्तचाप का सही न होना एक आम समस्या हो गया है। ऐसे में मानसिक तनाव से बचने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों को करने की आवश्यकता होती है जिससे हम तनाव से बच सकें। विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर भी हम अपने मस्तिष्क को प्रसन्न कर सकते हैं।

पर्याप्त नींद : जानकारों के अनुसार, रक्तचाप की समस्या से बचने के लिए पर्याप्त नींद का होना आवश्यक है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर ये देखने को मिला है कि जो लोग पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं उन्हें रक्तचाप की समस्या हो जाती है। इसलिए अपने नींद के घंटों से समझौता बिल्कुल भी न करें। ■■



कौशल में है अवसर

करियर

संपादन प्रभाग

पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद छात्रों के हाथ में सिर्फ़ डिग्री होती है और फिर नौकरी के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिग्री उन्हें विषय की सैद्धांतिक जानकारी देती है और किसी ख़ास कौशल में उनका प्रशिक्षण या तो नहीं होता या न के बराबर होता है। ऐसे में वे उद्योगों में काम करने के लिए तैयार नहीं माने जाते। यही कारण है कि भारतीय युवाओं का एक बड़ा हिस्सा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी बेरोज़गार रह जाता है, क्योंकि वो "नौकरी के लिए तैयार'' नहीं होते।

ऐसे में भारत में कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान हैं जहां से पढ़ाई के साथ-साथ कौशल के क्षेत्र में ख़ुद को निखारने और कोर्स के तुरंत बाद नौकरी के अवसर उपलब्ध होते हैं। देश में ऐसे कई संस्थान हैं जो कौशल प्रमाणपत्र से लेकर स्नातक, परा-स्नातक और पीएचडी तक के कार्यक्रम प्रदान करते हैं।



कौशल शिक्षा के माध्यम से, छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल सीखने का मौक़ा मिल सकता है। छात्रों को प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में भाग लेने का मौक़ा मिलता है जहां वे औद्योगिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे टॉप-5 बैचलर ऑफ़ वोकेशनल (बी.वोक.) पाठ्यक्रमों के बारे में जो 12वीं पास करने वाले छात्रों के करियर को नई दिशा दे सकते हैं।

1. इलेक्ट्रिकल स्किल्स

बी.वोक. कार्यक्रम का उद्देश्य आम तौर पर छात्रों को साउंड टेक्नीकल नॉलेज और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के व्यावहारिक कौशल से लैस करना है। व्यावसायिक मॉड्यूल में इंजीनियरिंग विज्ञान, विद्युत सिद्धांत, विद्युत स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, मोटर और ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस और 3 फेस सर्किट, विद्युत नियंत्रण सर्किट, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोग्रामिंग आदि शामिल है। इस कौशल को सीखने के दौरान छात्र विभिन्न उद्योगों के सामान्य से लेकर वैश्विक मानकों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। छात्रों को उच्च स्तर पर इंटरैक्टिव और व्यावहारिक शिक्षण पाठ्यक्रम से गुज़रने का मौक़ा मिलता है, जिससे वे सभी तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट और उपकरणों

में समस्या निवारण को सामान्य से लेकर अत्याधुनिक कंसेप्ट और कौशल के साथ सीखते हैं।

अवसर : बी.वोक. करने के बाद छात्र ऑफ़िस मेंटिनेंस इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल सर्विस फिटर और सुपरवाइज़र जैसे जॉब्स कर सकता है या फिर एम.वोक. कार्यक्रमों में शामिल होकर उच्च कुशल नौकरियों के लिए विकल्प चुन सकते हैं।

2. पॉली मैकेनिक स्किल्स

मशीनिंग, टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, हैंड स्किल्स, एसेम्बलिंग, पेना मेटिक्स, न्यूमेटिक्स, प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन आदि। पॉली मैकेनिक में कुशल लोग प्रोडक्शन मशीनरी और उपकरणों के लिए पाटर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पेशे में लॉजिक और आटोमेशन कंट्रोल की ज़रूरत होती है, साथ ही संबंधित बुनियादी विद्युत और सर्किट वाले काम में कौशल की आवश्यकता होती है।

अवसर : पॉली मैकेनिक डिग्री में बी.वोक. डिग्रीधारी कई तरह के विनिर्माण कौशल में प्रशिक्षित होते हुए संबंधित उद्योग में आसानी से काम करने में सक्षम हैं। औद्योगिक और विनिर्माण संयंत्रों की एक बड़ी शृंखला में उन्हें काम के अनुभव और संबंधित उद्योग की ज़रूरतों के आधार पर टेक्नीशियन, प्रैक्टिशनर और सुपरवाइज़र के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

3. कारपेंटर स्किल्स

कारपेंटरी में बी.वोक. डिग्री के तहत कैबिनेट बनाने, इंटीरियर वुडवर्क और फर्नीचर के निर्माण आदि कामों के लिए तैयार करता है। छात्र जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों से प्राप्त नवीनतम मशीनों पर काम करते हैं और नवीनतम लकड़ी के उपकरण और सामग्री का उपयोग करना सीखते हैं। वे विश्व स्तर के फर्नीचर और फिक्स्चर बनाने में सक्षम हो जाते हैं।

ऐसे में भारत में कई यूनिवर्सिटी और शिक्षण संस्थान हैं जहां से पढ़ाई के साथ-साथ कौशल के क्षेत्र में ख़ुद को निखारने और कोर्स के तुरंत बाद नौकरी के अवसर उपलब्ध होते हैं। देश में ऐसे कई संस्थान हैं जो कौशल प्रमाणपत्र से लेकर स्नातक, परा-स्नातक और पीएचडी तक के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। कौशल शिक्षा के माध्यम से, छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक कौशल सीखने का मौक़ा मिल सकता है। छात्रों को प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में भाग लेने का मौक़ा मिलता है जहां वे औद्योगिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

अवसर : जीवन शैली में परिवर्तन के साथ-साथ आधुनिक फर्निशिंग की मांग राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इतना ही नहीं डिग्रीधारकों के लिए सुपरवाइज़र और लकड़ी उद्योग में प्रबंधक के रूप में पर्याप्त अवसर हैं। ई-कॉमर्स की दुनिया में भी इनोवेटिव फर्नीचर के लिए एक बड़ा बाज़ार बन गया है, ऐसे में छात्र ख़ुद अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प फर्निशिंग ब्रांड के साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है जो लकड़ी के फर्नीचर का बड़े पैमाने पर उत्पाद करते हैं।

4. ऑटोमोटिव स्किल्स

आटोमोटिव यानी मोटर वाहन कौशल में बी.वोक. के अंतर्गत छात्रों को ऑटोमोबाइल के सभी प्रमुख तत्व सिखाए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर और सेफ्टी इंजीनियरिंग ताकि इनका इस्तेमाल मोटरसाइकिलों का निर्माण व परिचालन, मोटर वाहन और ट्रक और उनकी संबंधित उपप्रणालियों के निर्माण व डिज़ाइन में किया जा सके। पाठ्यक्रम के उन्नत संस्करण में इंजन के बारे में सिखाने से लेकर वाहनों को संशोधित करना बताया जाता है।

अवसर : किसी ऑटोमोटिव वर्कशॉप में काम करें या अपना ख़ुद का ऑटो वर्कशॉप खोलना मोटर वाहन में बी.वोक. डिग्री लेने वालों के लिए दो सबसे आकर्षक विकल्प हैं। विभिन्न ऑटोमोटिव कंपनियों के विनिर्माण संयंत्रों में मशीन ऑपरेटर, पर्यवेक्षकों और प्रबंधकों के रूप में कई अवसर भी हैं। बी.वोक. डिग्रीधारकों को ऑटो

विनिर्माण क्षेत्र, ऑटो सहायक क्षेत्र, अंतरराष्ट्रीय मानकों के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से जुड़े उत्पाद और ऑटो निर्माताओं के लिए समाधान, कनेक्टेड कार प्रणाली, ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट, उद्यम स्वचालन समाधान और इससे जुड़ी सेवाओं में कई अवसर मौजूद हैं।

5. आईटी और नेटवर्किंग हार्डवेयर स्किल्स

छात्रों को सूचना भंडारण, प्रसंस्करण और संचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण मिलता है। आईटी और नेटवर्किंग कौशल में बी.वोक. के तहत कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेटवर्किंग कंस्ट्रक्शन, नेटवर्क का उपयोग और प्रबंधन, जिसमें हार्डवेयर (केबल बिछाने, हब, पुल, स्विच, रूटर आदि) भी शामिल है। टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर का चुनाव व इस्तेमाल, नेटवर्क का उपयोग और इस्तेमाल व ऑपरेशन नीतियों की स्थापना आदि।

एक नेटवर्क आर्किटेक्ट में सभी कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए नेटवर्क सिस्टम बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने जैसे कौशल का होना ज़रूरी है। इन नेटवर्कों में लोकल एरिया नेटवर्क (लेन), वाइड एरिया नेटवर्क (वेन), इंट्रा नेट्स और एक्स्ट्रा नेट्स शामिल हो सकते हैं। नेटवर्क की जटिलता संगठन के आधार पर भिन्न हो सकती है और कंपनी के पास इसके लिए एक समर्पित इंजीनियर हो सकता है या कई तकनीकी विशेषज्ञ, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।

अवसर : डिजिटलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शहरों और औद्योगिक स्वचालन में वृद्धि की ओर देखते हुए आज इन क्षेत्रों में कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। छात्र नेटवर्क विशेषज्ञ या नेटवर्क सेवा टेकनीशियन, नेटवर्क व्यवस्थापक, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क विश्लेषक/प्रोग्रामर, नेटवर्क प्रबंधक और नेटवर्क सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनकर प्रबंधन या संगठनात्मक आवश्यकता के अनुसार नेटवर्क समाधान बनाने के लिए काम करने जैसे अवसरों को हासिल कर सकता है।



प्रमुख संस्थान

1. भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी : ये स्विस डुअल सिस्टम ऑफ़ स्किल्स एजुकेशन पर काम करता है, जिसका कांसेप्ट एक मशीन पर एक छात्र है।

2. राजस्थान आईएलडी स्किल यूनिवर्सिटी : ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो मात्र कौशल आधारित प्रोग्राम पेश करता है।

3. देश में और भी कौशल विश्वविद्यालय हैं जो बीटेक, बीबीए, बीसीए आदि जैसे औपचारिक पाठ्यक्रमों के साथ कौशल कार्यक्रम पेश करते हैं।

(1) टीम लीज स्किल्स यूनिवर्सिटी अहमदाबाद

(2) सिंबियोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी पुणे

(3) हरियाणा विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुड़गांव

(4) सेकोम स्किल यूनिवर्सिटी कोलकाता

(5) सेंचुरियन यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर

यूजीसी ने सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बी.वोक. और एम.वोक कार्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने थीसिस की पेशकश शुरू कर दी है। एआईसीटीई भी इस प्रकार के कौशल कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है। ■■

उनकी भाषा उनका भविष्य

शोध से पता चला है कि मातृभाषा में पढ़ाने से बेहतर कौशल के साथ-साथ अंग्रेजी पर भी बेहतर पकड़ बनती है। 11 अगस्त 2023 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का तर्क है कि सीबीएसई का हालिया निर्णय सही निर्णय है।



अख़बार के इस लेख में, लेखक बेहतर समझ और अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के महत्व पर जोर देते हैं। वह इस बात का सबूत भी देते हैं कि यह पद्धति सीखने और सफलता को बढ़ाती है और इस ग़लत धारणा के ख़िलाफ़ तर्क देते हैं कि केवल अंग्रेजी शिक्षा ही भारत में प्रगति को बढ़ावा देती है।

योजना में सेंध

जब देश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई थी, तब उम्मीद बनी थी कि इससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। इस तरह देश का स्वास्थ्य सूचकांक भी सुधरेगा,लेकिन अभी हाल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग ने इस योजना के संबंध में जो आंकड़े पेश किए हैं, वे चिंता पैदा करने वाले हैं। कैग ने सितंबर 2018 से मार्च 2021 के बीच की अवधि में हुई अनियमितताओं का विश्लेषण किया है। ये अनियमितताएं इसलिए हो पाईं कि लाभार्थियों के पंजीकरण के सत्यापन में पुख्त तरीक़ा नहीं अपनाया गया। बहुत सारे लोग अवैध नाम, अवास्तविक जन्मतिथि, नकली पहचान पत्र, परिवार के सदस्यों की ग़लत संख्या आदि दर्ज करा कर इस योजना का लाभ उठाते रहे। विश्लेषित अवधि के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत सात करोड़ सत्तासी लाख लोग पंजीकृत थे। इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिन समूहों को ध्यान में रख कर यह योजना शुरू की गई थी, उनमें से कितने लोग इसका लाभ पाने से वंचित रह गए और अपात्र लोगों ने इसका फ़ायदा उठा लिया। दरअसल, इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को भुगतान करता है, जिनके ज़रिए इलाज करने वाले अस्पतालों को भुगतान किया जाता है। यह बात तो लंबे समय से उठाई जा रही थी कि बीमा कंपनियां और बहुत सारे निजी अस्पताल मिलीभगत करके आयुष्मान भारत योजना में सेंधमारी कर रहे हैं, मगर उन पर नज़र रखने के पुख़्ता इंतज़ाम नहीं किए गए।

चिंता के पायदान पर



देश के जाने-माने मुस्लिम संगठन जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा संकलित रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की उन्होंने बताया कि 2019 से 2021 तक देश भर में 13.13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं आश्चर्यजनक रूप से लापता हो गईं। लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है।

उन्होंने कहा कि लगभग दो लाख महिलाओं के लापता होने की सूचना है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर का स्थान है। ऐसा प्रतीत होता है कि "बेटी बचाओ" का आह्वान चुनावी नारा बन कर रह गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसी विभिन्न पहल जो 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड लगाता है, का प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने का सबसे अच्छा तरीका नैतिकता और नैतिकता पर आधारित समाज का विकास करना है। उन्होंने कहा कि, महिलाओं को उनके उचित अधिकार मिलने चाहिए और सशक्त होना चाहिए लेकिन उनकी विनम्रता और विशिष्ट भूमिका की क़ीमत पर नहीं।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति

चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति द्वारा किए जाने के लिए सरकार द्वारा विधेयक लाए जाने को लेकर विपक्ष का कहना है कि यह चुनाव आयोग को पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली बनाने का एक प्रयास है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, कांग्रेस ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति पर मोदी सरकार के विधेयक का उद्देश्य 'भारत के चुनाव आयोग' को 'मोदी चुनाव आयोग' में बदलना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह कदम चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के विधेयक में कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति करेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। इससे पहले इस साल मार्च में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के उस फैसले के बाद आया है कि जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की समिति की सलाह के आधार पर की जानी चाहिए।

Name: KANTI

Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk

कान्ति के वे सब्सक्राइबर
जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी
की रक़म जमा नहीं की है,
बराय मेहरबानी
इस QR Code
के ज़रिये जल्द अदायगी करें।

नोट : अदायगी के बाद स्क्रीनशॉट
इस नम्बर पर (9818799223) ज़रूर भेजें।

क़ानूनी कुमार

कहानी



मुंशी प्रेमचंद

मि. क़ानूनी कुमार, एमएलए अपने ऑफ़िस में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और रिपोर्टों का एक ढेर लिए बैठे हैं। देश की चिन्ताओं से उनकी देह स्थूल हो गयी है; सदैव देशोद्धार की फ़िक्र में पड़े रहते हैं। सामने पार्क है। उसमें कई लड़के खेल रहे हैं। कुछ परदे वाली स्त्रियां भी हैं, फेंसिंग के सामने बहुत-से भिखमंगे बैठे हैं, एक चायवाला एक वृक्ष के नीचे चाय बेच रहा है। क़ानूनी कुमार (आप-ही-आप) देश की दशा कितनी ख़राब होती चली जाती है। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। बस दावतें खाना और मौज उड़ाना उसका काम है। (पार्क की ओर देखकर) 'आह! यह कोमल कुमार सिगरेट पी रहे हैं। शोक! महाशोक! कोई कुछ नहीं कहता, कोई इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करता। तम्बाकू कितनी ज़हरीली चीज़ है, बालकों को इससे कितनी हानि होती है, यह कोई नहीं जानता। (तम्बाकू की रिपोर्ट देखकर) ओफ़! रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितने बालक अपराधी होते हैं, उनमें 75 प्रति सैकड़े सिगरेटबाज़ होते हैं। बड़ी भयंकर दशा है। हम क्या करें! लाख स्पीचें दो, कोई सुनता ही नहीं। इसको क़ानून से रोकना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। (काग़ज़ पर नोट करता है) तम्बाकू-बहिष्कार-बिल पेश करूंगा। कौंसिल खुलते ही यह बिल पेश कर देना चाहिए।

(एक क्षण के बाद फिर पार्क की ओर ताकता है, और पहरेदार महिलाओं को घास पर बैठे देखकर लम्बी सांस लेता है।)

'गजब है, गजब है; कितना घोर अन्याय! कितना पाशविक व्यवहार!! यह कोमलांगी सुन्दरियां चादर में लिपटी हुई कितनी भद्दी, कितनी फूहड़ मालूम होती हैं। अभी तो देश का यह हाल हो



रहा है। (रिपोर्ट देखकर) स्त्रियों की मृत्यु-संख्या बढ़ रही है। तपेदिक उछलता चला आता है, प्रसूत की बीमारी आंधी की तरह चढ़ी आती है और हम हैं कि आंखें बन्द किये पड़े हैं। बहुत जल्दी ऋषियों की यह भूमि, यह वीर-प्रसविनी जननी रसातल को चली जाएगी, इसका कहीं निशान भी न रहेगा। गवर्नमेंट को क्या फ़िक्र! लोग कितने पाषाण हो गये हैं। आंखों के सामने यह अत्याचार देखते हैं और ज़रा भी नहीं चौंकते। यह मृत्यु का शैथिल्य है। यहां भी क़ानूनी ज़रूरत है। एक ऐसा क़ानून बनना चाहिए, जिससे कोई स्त्री परदे में न रह सके। अब समय आ गया है कि इस विषय में सरकार क़दम बढ़ावे। क़ानून की मदद के बग़ैर कोई सुधार नहीं हो सकता और यहां क़ानूनी मदद की जितनी ज़रूरत है, उतनी और कहां हो सकती है। माताओं पर देश का भविष्य अवलम्बित है। परदा-हटाव-बिल पेश होना चाहिए। जानता हूं बड़ा विरोध होगा; लेकिन गवर्नमेंट को साहस से काम लेना चाहिए, ऐसे नपुंसक विरोध के भय से उद्धार के कार्य में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। (काग़ज़ पर नोट करता है) यह बिल भी असेंबली के खुलते ही पेश कर देना होगा। बहुत

विलम्ब हो चुका, अब विलम्ब की गुंजाइश नहीं है। वरना मरीज़ का अंत हो जाएगा। (मसौदा बनाने लगता है हेतु और उद्देश्य)

सहसा एक भिक्षुक सामने आकर पुकारता है–'जय हो सरकार की, लक्ष्मी फूलें-फलें। क़ानूनी हट जाओ, यू सुअर कोई काम क्यों नहीं करता?'

भिक्षुक-'बड़ा धर्म होगा सरकार, मारे भूख के आंखों-तले अंधेरा ...'

क़ानूनी -'चुप रहो सुअर; हट जाओ सामने से, अभी निकल जाओ, बहुत दूर निकल जाओ।'

(मसौदा छोड़कर फिर आप-ही-आप), 'यह ऋषियों की भूमि आज भिक्षुकों की भूमि हो रही है। जहां देखिए, वहां रेवड़-के-रेवड़ और दल-के-दल भिखारी! यह गवर्नमेंट की लापरवाही की बरकत है। इंग्लैंड में कोई भिक्षुक भीख नहीं मांग सकता। पुलिस पकड़कर काल-कोठरी में बन्द कर दे। किसी सभ्य देश में इतने भिखमंगे नहीं हैं। यह पराधीन ग़ुलाम भारत है, जहां ऐसी बातें इस बीसवीं सदी में भी सम्भव हैं। उफ़! कितनी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। (रिपोर्ट निकालकर) ओह! 50 लाख! 50 लाख आदमी केवल भिक्षा मांगकर गुज़र करते हैं और क्या ठीक है कि संख्या इसकी दुगनी न हो। यह पेशा लिखाना कौन पसन्द करता है। एक करोड़ से कम भिखारी इस देश में नहीं हैं। यह तो भिखारियों की बात हुई, जो द्वार-द्वार झोली लिये घूमते हैं। इसके उपरांत टीकाधारी, कोपीनधारी और जटाधारी समुदाय भी तो हैं, जिनकी संख्या कम-से-कम दो करोड़ होगी। जिस देश में इतने हरामख़ोर, मुफ़्त का माल उड़ाने वाले, दूसरों की कमाई पर मोटे होने वाले प्राणी हों, उसकी दशा क्यों न इतनी हीन हो। आश्चर्य यही है कि अब तक यह देश जीवित कैसे है? ह्वोट करता है) एक बिल की सख़्त ज़रूरत है, उसे पेश करना ही चाहिए नाम हो 'भिखमंगा-बहिष्कार-बिल।' ख़ूब जूतियां चलेंगी, धर्म के सूत्राधार ख़ूब नाचेंगे, ख़ूब गालियां देंगे, गवर्नमेंट भी कन्नी काटेगी; मगर सुधार का मार्ग तो कंटकाकीर्ण है ही। तीनों बिल मेरे ही नाम से हों, फिर देखिए, कैसी खलबली मचती है। (आवाज़ आती है चाय गरम! चाय गरम!! मगर ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। क़ानूनी कुमार का ध्यान चायवाले की ओर आकर्षित हो जाता है।)

क़ानूनी (आप-ही-आप) 'चायवाले की दूकान पर एक भी ग्राहक नहीं, कैसा मूर्ख देश है! इतनी बलवर्धक वस्तु और ग्राहक कोई नहीं! सभ्य देशों में पानी की जगह चाय पी जाती है। (रिपोर्ट देखकर) इंग्लैंड में पांच करोड़ पौण्ड की चाय जाती है। इंग्लैंड वाले मूर्ख नहीं हैं। उनका आज संसार पर आधिपत्य है, इसमें चाय का कितना बड़ा भाग है, कौन इसका अनुमान कर सकता है? यहां बेचारा चायवाला खड़ा है और कोई उसके पास नहीं फटकता। चीन वाले चाय पी-पीकर स्वाधीन हो गये; मगर हम चाय न पियेंगे। क्या अक़्ल है। गवर्नमेंट का सारा दोष है। कीटों से भरे हुए दूध के लिए इतना शोर मचता है; मगर चाय को कोई नहीं पूछता, जो कीटों से ख़ाली, उत्तेजक और पुष्टिकारक है! सारे देश की मति मारी गयी है। (नोट करता है) गवर्नमेंट से प्रश्न करना चाहिए। असेंबली खुलते ही प्रश्नों का तांता बांध दूंगा। प्रश्न क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि गत पांच सालों में भारतवर्ष में चाय की खपत कितनी बढ़ी है और उसका सर्वसाधारण में प्रचार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क़दम लिए हैं?

(एक रमणी का प्रवेश। कटे हुए केश, आड़ी मांग, पारसी रेशमी साड़ी, कलाई पर घड़ी, आंखों पर ऐनक, पांव में ऊंची एड़ी का लेडी शू, हाथ में एक बटुआ लटकाये हुए, साड़ी में ब्रूच है, गले में मोतियों का हार। क़ानूनी-'हल्लो मिसेज बोस! आप ख़ूब आयीं, कहिए, किधर की सैर हो रही है? अबकी तो 'आलोक' में आपकी कविता बड़ी सुन्दर थी। मैं तो पढ़कर मस्त हो गया। इस नन्हे-से हृदय में इतने भाव कहां से आ जाते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। शब्द-विन्यास की तो आप रानी हैं। ऐसे-ऐसे चोट करने वाले भाव आपको कैसे सूझ जाते हैं।'

मिसेज बोस-'दिल जलता है, तो उसमें आप-से-आप धुएं के बादल निकलते हैं। जब तक स्त्री-समाज पर पुरुषों का अत्याचार रहेगा, ऐसे भावों की कमी न रहेगी।'

क़ानूनी-'क्या इधर कोई नयी बात हो गयी?'

बोस-'रोज़ ही तो होती रहती है। मेरे लिए डॉक्टर बोस की आज्ञा नहीं कि किसी से मिलने जाओ, या कहीं सैर करने जाओ। अबकी कैसी गरमी पड़ी है कि सारा रक्त जल गया, पर मैं पहाड़ों पर न जा सकी। मुझसे यह अत्याचार, यह ग़ुलामी नहीं सही जाती।'

क़ानूनी-'डॉक्टर बोस ख़ुद भी तो पहाड़ों पर नहीं गये।'

बोस-'वह न जाएं, उन्हें धन की हाय-हाय पड़ी है। मुझे क्यों अपने साथ लिये मरते हैं? वह क्लब में नहीं जाना चाहते, उनका समय रुपये उगलता है, मुझे क्यों रोकते हैं! वह खद्दर पहनें, मुझे क्यों अपनी पसन्द के कपड़े पहनने से रोकते हैं! वह अपनी माता और भाइयों के ग़ुलाम बने रहें, मुझे क्यों उनके साथ रो-रोकर दिन काटने पर मजबूर करते

हैं! मुझ से यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। अमेरिका में एक कटुवचन कहने पर सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। पुरुष ज़रा देर में घर आया और स्त्री ने तलाक़ दिया। वह स्वाधीनता का देश है, वहां लोगों के विचार स्वाधीन हैं। यह ग़ुलामों का देश है, यहां हर एक बात में उसी ग़ुलामी की छाप है। मैं अब डॉक्टर बोस के साथ नहीं रह सकती। नाकों दम आ गया। इसका उत्तरदायित्व उन्हीं लोगों पर है जो समाज के नेता और व्यवस्थापक बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्त्रियों को ग़ुलाम बनाकर स्वाधीन हो जाएं, तो यह अनहोनी बात है। जब तक तलाक़ का क़ानून न जारी होगा, आपका स्वराज्य आकाश-कुसुम ही रहेगा। डॉक्टर बोस को आप जानते हैं, धर्म में उनकी कितनी श्रद्धा है! ख़ब्त कहिए। मुझे धर्म के नाम से घृणा है। इसी धर्म ने स्त्री-जाति को पुरुष की दासी बना दिया है। मेरा बस चले, तो मैं सारे धर्म की पोथियों को उठाकर परनाले में फेंक दूं।'

(मिसेज़ ऐयर का प्रवेश। गोरा रंग, ऊंचा क़द, ऊंचा गाउन, गोल हांड़ी की-सी टोपी, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर पाउडर, गालों और ओंठों पर सुर्ख़ पेंट, रेशमी जुर्राबें और ऊंची एड़ी के जूते।)

क़ानूनी (हाथ बढ़ाकर) 'हल्लो मिसेज़ ऐयर! आप ख़ूब आयीं। कहिए, किधर की सैर हो रही है। 'आलोक' में अबकी आपका लेख अत्यन्त सुन्दर था, मैं तो पढ़कर दंग रह गया।'

मिसेज़ ऐयर-'(मिसेज़ बोस की ओर मुस्कराकर) दंग तो रह गये या कुछ किया भी। हम स्त्रियां अपना कलेजा निकालकर रख दें; लेकिन पुरुषों का दिल न पसीजेगा।'

बोस-'सत्य! बिल्कुल सत्य।'

ऐयर-'मगर इस पुरुष-राज का बहुत जल्द अन्त हुआ जाता है। स्त्रियां अब क़ैद में नहीं रह सकतीं। मि. ऐयर की सूरत मैं नहीं देखना चाहती। (मिसेज़ बोस मुंह फेर लेती हैं)

क़ानूनी (मुस्कराकर)–' मि. ऐयर तो ख़ूबसूरत आदमी हैं।'

लेडी ऐयर-'उनकी सूरत उन्हें मुबारक रहे। मैं ख़ूबसूरत पराधीनता नहीं चाहती, बदसूरत स्वाधीनता चाहती हूं। वह मुझे अबकी ज़बरदस्ती पहाड़ पर ले गये। वहां की शीत मुझ से नहीं सही जाती, कितना कहा, कि मुझे मत ले जाओ; मगर किसी तरह न माने। मैं किसी के पीछे-पीछे कुतिया की तरह नहीं चलना चाहती।

(मिसेज़ बोस उठकर खिड़की के पास चली जाती हैं)

क़ानूनी-'अब मुझे मालूम हो गया कि तलाक़ का बिल असेम्बली में पेश करना पड़ेगा!'

ऐयर-'ख़ैर, आपको मालूम तो हुआ; मगर शायद क़यामत में।' क़ानूनी-'नहीं मिसेज़ ऐयर, अबकी छुट्टियों के बाद ही यह बिल पेश होगा और धूमधाम के साथ पेश होगा। बेशक पुरुषों का अत्याचार बढ़ रहा है। जिस प्रथा का विरोध आप दोनों महिलाएं कर रही हैं, वह अवश्य हिन्दू समाज के लिए घातक है। अगर हमें सभ्य बनना है, तो सभ्य देशों के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। धर्म के ठीकेदार चिल्ल-पों मचायेंगे, कोई परवाह नहीं। उनकी ख़बर लेना आप दोनों महिलाओं का काम होगा। ऐसा बनाना कि मुंह न दिखा सकें।'

लेडी ऐयर-'पेशगी धन्यवाद देती हूं। (हाथ मिलाकर चली जाती है।)

मिसेज़ बोस-'(खिड़की के पास से आकर) आज इसके घर में घी का चिराग़ जलेगा। यहां से सीधे बोस के पास गयी होगी! मैं भी जाती हूं। (चली जाती है)

क़ानूनी कुमार एक क़ानून की किताब उठाकर उसमें तलाक़ की व्यवस्था देखने लगता है कि मि. आचार्य आते हैं। मुंह साफ़, एक आंख पर ऐनक, ख़ाली आधे बांह का शर्ट, निकर, ऊनी मोज़े, लम्बे बूट। पीछे एक टेरियर कुत्ता भी है।

क़ानूनी-'हल्लो मि. आचार्य! आप ख़ूब आये, आज किधर की सैर हो रही है? होटल का क्या हाल है?

आचार्य-'कुत्ते की मौत मर रहा हूं। इतना बढ़िया भोजन, इतना साफ़-सुथरा मकान, ऐसी रोशनी, इतना आराम फिर भी मेहमानों का दुर्भिक्ष। समझ में नहीं आता, अब कितना ख़र्च घटाऊं। इन दामों में मोटा खाना भी नसीब नहीं हो सकता। उस पर सारे ज़माने की झंझट, कभी नौकर का रोना, कभी दूध वाले का रोना, कभी धोबी का रोना, कभी मेहतर का रोना; यहां सारे जंजाल से मुक्ति हो जाती है। फिर भी आधे कमरे ख़ाली पड़े हैं।'

क़ानूनी-'यह तो आपने बुरी ख़बर सुनायी।'

आचार्य-'पश्चिम में क्यों इतना सुख और शान्ति है, क्यों इतना प्रकाश और धन है, क्यों इतनी स्वाधीनता और बल है। इन्हीं होटलों के प्रसाद से। होटल पश्चिमी गौरव का मुख्य अंग है, पश्चिमी सभ्यता का प्राण है। अगर आप भारत को उन्नति के शिखर पर देखना चाहते हैं, तो होटल-जीवन का प्रचार कीजिए। इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। जब तक छोटी-छोटी घरेलू चिंताओं से मुक्त न हो जाएंगे, आप उन्नति कर ही नहीं सकते। राजों, रईसों को अलग घरों में रहने दीजिए, वह एक की जगह दस ख़र्च कर सकते हैं। मध्यम श्रेणी वालों के लिए होटल के प्रचार में ही सब कुछ है। हम अपने सारे मेहमानों की फ़िक्र अपने सिर लेने को तैयार हैं, फिर भी

जनता की आंखें नहीं खुलतीं। इन मूर्खों की आंखें उस वक़्त तक न खुलेंगी, जब तक क़ानून न बन जाए।'

क़ानूनी-'(गंभीर भाव से) हां, मैं सोच रहा हूं। ज़रूर क़ानून से मदद लेनी चाहिए। एक ऐसा क़ानून बन जाए कि जिन लोगों की आय 500) से कम हो, होटलों में रहें। क्यों?'

आचार्य-'आप अगर यह क़ानून बनवा दें, तो आने वाली संतान आपको अपना मुक्तिदाता समझेगी। आप एक क़दम में देश को 500 वर्ष की मंज़िल तय करा देंगे।'

क़ानूनी-'तो लो, अबकी यह क़ानून भी असेंबली खुलते ही पेश कर दूंगा। बड़ा शोर मचेगा। लोग देशद्रोही और जाने क्या-क्या कहेंगे, पर इसके लिए तैयार हूं। कितना दु:ख होता है, जब लोगों को अहिर के द्वार पर लुटिया लिये खड़ा देखता हूं। स्त्रियों का जीवन तो नरक-तुल्य हो रहा है। सुबह से दस-बारह बजे रात तक घर के धंधों से फ़ुरसत नहीं। कभी बरतन मांजो, कभी भोजन बनाओ, कभी झाड़ू लगाओ। फिर स्वास्थ्य कैसे बने, जीवन कैसे सुखी हो, सैर कैसे करें, जीवन के आमोद-प्रमोद का आनंद कैसे उठावें, अध्ययन कैसे करें? आपने ख़ूब कहा, एक क़दम में 500 सालों की मंज़िल पूरी हुई जाती है।'

आचार्य-'तो अबकी बिल पेश कर दीजिएगा?'

क़ानूनी -'अवश्य!'

(आचार्य हाथ मिलाकर चला जाता है)

क़ानूनी कुमार खिड़की के सामने खड़ा होकर 'होटल-प्रचार-बिल' का मसविदा सोच रहा है। सहसा पार्क में एक स्त्री सामने से गुज़रती है। उसकी गोद में एक बच्चा है, दो बच्चे पीछे-पीछे चल रहे हैं और उदर के उभार से मालूम होता है कि गर्भवती भी है। उसका कृश शरीर, पीला मुख और मन्द गति देखकर अनुमान होता कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और इस भार का वहन करना उसे कष्टप्रद है।

क़ानूनी कुमार-'(आप-ही-आप) इस समाज का, इस देश का और इस जीवन का सत्यानाश हो, जहां रमणियों को केवल बच्चा जनने की मशीन समझा जाता है। इस बेचारी को जीवन का क्या सुख! कितनी ही ऐसी बहनें इसी जंजाल में फंसकर 32, 35 की अवस्था में जबकि वास्तव में जीवन को सुखी होना चाहिए, रुग्ण होकर संसार-यात्रा समाप्त कर देती हैं। हां भारत! यह विपत्ति तेरे सिर से कब टलेगी? संसार में ऐसे-ऐसे पाषाण-हृदय मनुष्य पड़े हुए हैं, जिन्हें इस दुखियारियों पर ज़रा भी दया नहीं आती। ऐसे अन्धे, ऐसे पाषाण, ऐसे पाखंडी समाज को, जो स्त्री को अपनी वासनाओं की वेदी पर बलिदान करता है, क़ानून के सिवा और किस विधि से सचेत किया जाए? और कोई उपाय ही नहीं है। नर-हत्या का जो दंड है, वही दण्ड ऐसे मनुष्यों को मिलना चाहिए। मुबारक होगा वह दिन, जब भारत में इस नाशिनी प्रथा का अंत हो जाएगा स्त्री का मरण, बच्चों का मरण और जिस समाज का जीवन ऐसी सन्तानों पर आधारित हो, उसका मरण! ऐसे बदमाशों को क्यों न दण्ड दिया जाए? कितने अंधे लोग हैं। बेकारी का यह हाल कि भरपेट किसी को रोटियां नहीं मिलतीं, बच्चों को दूध स्वप्न में भी नहीं मिलता और ये अंधे हैं कि बच्चे-पर-बच्चे पैदा करते जाते हैं। 'संतान-निग्रह-बिल' की जितनी ज़रूरत है। इस देश को, उतनी और किसी क़ानून की नहीं। असेंबली खुलते ही यह बिल पेश करूंगा। प्रलय हो जाएगा, यह जानता हूं, पर और उपाय ही क्या है? दो बच्चों से ज़्यादा जिसके हों, उसे कम-से-कम पांच वर्ष की क़ैद, उसमें पांच महीने से कम काल-कोठरी न हो। जिसकी आमदनी सौ रुपये से कम हो, उसे संतानोत्पत्ति का अधिकार ही न हो। कितना सुखमय जीवन हो जायेगा। हां, एक दफ़ा यह भी रहे कि एक संतान के बाद कम-से-कम सात वर्ष तक दूसरी संतान न आने पावे। तब इस देश में सुख और संतोष का साम्राज्य होगा, तब स्त्रियों और बच्चों के मुंह पर ख़ून की सुर्खी नज़र आयेगी, तब मज़बूत हाथ-पांव और मज़बूत दिल और जिगर के पुरुष उत्पन्न होंगे।'

(मिसेज़ क़ानूनी कुमार का प्रवेश)

क़ानूनी कुमार जल्दी से रिपोर्टों और पत्रों को समेट लेता है और एक उपन्यास खोलकर बैठ जाता है।

मिसेज़-'क्या कर रहे हो? वही धुन!'

क़ानूनी-'उपन्यास पढ़ रहा हूँ।'

मिसेज़-'तुम सारी दुनिया के लिए क़ानून बनाते हो, एक क़ानून मेरे लिए भी बना दो। इससे देश का जितना बड़ा उपकार होगा, उतना और किसी क़ानून से न होगा। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा और घर-घर तुम्हारी पूजा होगी!'

क़ानूनी-'अगर तुम्हारा ख़याल है कि मैं नाम और यश के लिए देश की सेवा कर रहा हूं, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे रत्ती-भर भी नहीं समझा।'

मिसेज़-'नाम के लिए काम कोई बुरा काम नहीं है, तुम्हें यश की आकांक्षा हो, तो मैं उसकी निन्दा न करूंगी, भूलकर भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी ही तदबीर बता दूंगी, जिससे तुम्हें इतना यश मिलेगा कि तुम ऊब जाओगे। फूलों की इतनी वर्षा होगी कि तुम उसके नीचे दब जाओगे। गले में इतने हार पड़ेंगे कि तुम गरदन सीधी न कर सकोगे।'

क़ानूनी (उत्सुकता को छिपाकर)-'क़ोई मज़ाक़ की बात होगी। देखा मिन्नी, काम करने वाले आदमी के लिए इससे बड़ी दूसरी बाधा नहीं है कि उसके घर वाले उसके काम की निंदा करते हों। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से निराश हो जाता हूं।'

मिसेज़-'तलाक़ का क़ानून तो बनाने जा रहे हो, अब क्या डर है।'

क़ानूनी-'फिर वही मज़ाक़! मैं चाहता हूं तुम इन प्रश्नों पर गंभीर विचार करो।'

मिसेज़-'मैं बहुत गंभीर विचार करती हूं! सच मानो। मुझे इसका दु:ख है कि तुम मेरे भावों को नहीं समझते। मैं इस वक़्त तुम से जो बात करने जा रही हूं, उसे मैं देश की उन्नति के लिए आवश्यक ही नहीं, परमावश्यक समझती हूं। मुझे इसका पक्का विश्वास है।

क़ानूनी-'पूछने की हिम्मत तो नहीं पड़ती। (अपनी झेंप मिटाने के लिए हंसता है।)

मिसेज़-'मैं ख़ुद ही कहने आयी हूं। हमारा वैवाहिक जीवन कितना लज्जास्पद है; तुम ख़ूब जानते हो। रात-दिन रगड़ा-झगड़ा मचा रहता है। कहीं पुरुष स्त्री पर हाथ साफ़ कर लेता है, कहीं स्त्री पुरुष की मूंछों के बाल नोचती है। हमेशा एक-न-एक गुल खिला ही करता है। कहीं एक मुंह फुलाये बैठा है, कहीं दूसरा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहा है। कारण जानते हो क्या है? कभी सोचा है? पुरुषों की रसिकता और कृपणता! यही दोनों ऐब मनुष्यों के जीवन को नरक-तुल्य बनाए हुए हैं। जिधर देखो, अशान्ति है, विद्रोह है, बाधा है। साल में लाखों हत्याएं इन्हीं बुराइयों के कारण हो जाती हैं, लाखों स्त्रियां पतित हो जाती हैं, पुरुष मद्य-सेवन करने लगते हैं, यह बात है या नहीं?'

क़ानूनी-'बहुत-सी बुराइयां ऐसी हैं, जिन्हें क़ानून नहीं रोक सकता।'

मिसेज़-'(क़हक़हा, मारकर) अच्छा, क्या आप भी क़ानून की अक्षमता स्वीकार करते हैं? मैं यह नहीं समझती थी। मैं तो क़ानून को ईश्वर से ज़्यादा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान समझती हूं।'

क़ानूनी-'फिर तुमने मज़ाक़ शुरू किया।'

मिसेज़-'अच्छा, लो कान पकड़ती हूं। अब न हंसूंगी। मैंने उन बुराइयों को रोकने का एक क़ानून सोचा है। उसका नाम होगा 'दम्पति-सुख-शान्ति बिल'। उसकी दो मुख्य धाराएं होंगी और क़ानूनी बारीकियां तुम ठीक कर लेना। एक धारा होगी कि पुरुष अपनी आमदनी का आधा बिना कान-पूंछ हिलाये स्त्री को दे दे; अगर न दे, तो पांच साल कठिन कारावास और पांच महीने काल-कोठरी। दूसरी धारा होगी, पन्द्रह से पचास तक के पुरुष घर से बाहर न निकलने पावें, अगर कोई निकले, तो दस साल कारावास और दस महीने काल-कोठरी। बोलो मंज़ूर है?'

क़ानूनी-'(गम्भीर होकर) 'असम्भव, तुम प्रकृति को पलट देना चाहती हो। कोई पुरुष घर में क़ैदी बनकर रहना स्वीकार न करेगा।'

मिसेज़-'वह करेगा और उसका बाप करेगा! पुलिस डंडे के ज़ोर से करायेगी। न करेगा, तो चक्की पीसनी पड़ेगी। करेगा कैसे नहीं। अपनी स्त्री को घर की मुर्ग़ी समझना और दूसरी स्त्रियों के पीछे दौड़ना, क्या खालाजी का घर है? तुम अभी इस क़ानून को अस्वाभाविक समझते हो। मत घबड़ाओ। स्त्रियों का अधिकार होने दो। यह पहला क़ानून न बन जावे, तो कहना कि कोई कहता था। स्त्री एक-एक पैसे के लिए तरसे और आप गुलछर्रे उड़ायें। दिल्लगी है! आधी आमदनी स्त्री को दे देनी पड़ेगी, जिसका उससे कोई हिसाब न पूछा जा सकेगा।'

क़ानूनी-'तुम मानव-समाज को मिट्टी का खिलौना समझती हो।'

मिसेज़-'क़दापि नहीं। मैं यही समझती हूं कि क़ानून सब कुछ कर सकता है। मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है।'

क़ानूनी-'क़ानून यह नहीं कर सकता।'

मिसेज़-'कर सकता है।'

क़ानूनी-'नहीं कर सकता।'

मिसेज़-'कर सकता है; अगर वह ज़बरदस्ती लड़कों को स्कूल भेज सकता है; अगर वह ज़बरदस्ती विवाह की उम्र नियत कर सकता है; अगर वह ज़बरदस्ती बच्चों को टीका लगवा सकता है, तो वह ज़बरदस्ती पुरुषों को घर में बंद भी कर सकता है, उसकी आमदनी का आधा स्त्रियों को भी दिला सकता है। तुम कहोगे, पुरुष को कष्ट होगा। ज़बरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें करने वाले को कष्ट होता है। तुम उस कष्ट का अनुभव नहीं करते; इसीलिए वह तुम्हें नहीं अखरता। मैं यह नहीं कहती कि सुधार ज़रूरी नहीं है। मैं भी शिक्षा का प्रचार चाहती हूं, मैं भी बाल-विवाह बंद करना चाहती हूं, मैं भी चाहती हूं कि बीमारियां न फैलें, लेकिन क़ानून बनाकर ज़बरदस्ती यह सुधार नहीं करना चाहती। लोगों में शिक्षा और जागृति फैलाओ, जिसमें क़ानूनी भय के बग़ैर वह सुधार हो जाए। आपसे कुर्सी तो छोड़ी जाती नहीं, घर से निकला जाता नहीं, शहरों की विलासिता को एक दिन के लिए भी नहीं त्याग सकते और सुधार करने चले हैं आप देश का! इस तरह सुधार न होगा। हां, पराधीनता की बेड़ी और भी कठोर हो जाएगी।'

(मिसेज़ कुमार चली जाती हैं, और क़ानूनी कुमार अव्यवस्थित-चित्त-सा कमरे में टहलने लगता है।) ■■

आख़िरी पन्ना



संपादन प्रभाग

"समाज-सुधार" की व्यापक अवधारणा

"न किसी काले को किसी गोरे पर न किसी गोरे को किसी काले पर कोई बढ़ोत्तरी हासिल है। सब आदम की संतान हैं और इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं।"

मानव-समानता के यह महान विचार समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर के अंतिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के हैं, जिनका जन्म सन् 571 ई. में अरब के प्रसिद्ध शहर मक्का में हुआ था और 40 वर्ष की आयु में अल्लाह (ईश्वर) ने जिनको अपना पैग़म्बर बनाया और अपनी पवित्र वाणी क़ुरआन वह्य (प्रकाशना) के माध्यम से आप पर अवतरित की। ईश्वर की आज्ञा अनुसार, 23 वर्ष तक आपने लोगों को सत्य धर्म की ओर बुलाया और ईश्वर का संदेश सुनाया और सन् 632 ई. में अपने मिशन के पूर्ण होने के पश्चात आप वापस ईश्वर से जा मिले। वर्तमान विश्व की 25 प्रतिशत जनसंख्या आपको अपना आदर्श और मार्गदर्शक स्वीकार करके आपका अनुसरण करने का प्रयत्न कर रही है और आपके अनुयायियों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है।



हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के अवतरण का उद्देश्य 'समाज-सुधार' था, लेकिन यह 'समाज सुधार' सामान्य समाज सुधार से अलग था, जिसका प्रयत्न समय-समय पर उठने वाले अन्य समाज सुधारकों ने किया है। इस समाज सुधार की रूप-रेखा स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदान की गई थी और इसमें मनुष्य की आस्था और विचारधारा से लेकर उनके संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने के अत्यंत कठिन कार्य पर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को नियुक्त किया गया था।

"निश्चय ही हमने अपने रसूलों को साफ़-साफ़ निशानियों और मार्गदर्शनों के साथ भेजा, और उनके लिए किताब और तुला उतारी, ताकि लोग इंसाफ़ पर क़ायम हों।" (क़ुरआन, 57:25)

अर्थात् मानव जीवन के हर क्षेत्र में आए बिगाड़ को पूरी तरह समाप्त कर देना और हर क्षेत्र में उसे न्याय व इंसाफ़ के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना ही हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन का मुख्य उद्देश्य था।

आप (सल्ल.) पर डाली

●●
न किसी काले को किसी गोरे पर न किसी गोरे को किसी काले पर कोई बढ़ोतरी हासिल है। सब आदम की संतान हैं और इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं।
●●

गई ज़िम्मेदारियों के महत्व और आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से तभी समझा जा सकेगा, जब उस समय पूरे विश्व में और विशेष रूप से अरब में फैली हुई अराजकताओं पर भी एक दृष्टि डाली जाए। उस समय अरब में-

1. राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था और हर कोई अपनी आवश्यकतानुसार क़ानून बना लेता था। क़बीलों की आपसी लड़ाइयां सैकड़ों वर्ष तक चलती रहती थी।

2. सूद और ग़ुलामी की प्रथा ने अमीरों को कमज़ोरों पर ज़ुल्म व अत्याचार करने की पूरी छूट दे रखी थी। ग़ुलामों को वस्तु के रूप में देखा जाता था और उनको समाज में कोई अधिकार प्राप्त न था।

3. औरतों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और लड़कियों को जीवित ही ज़मीन में गाड़ दिया जाता था।

4. शराब, जुआ व्यभिचार और लूटमार का बाज़ार गरम था।

5. शिक्षा का अभाव था और लोग वास्तविक ईश्वर की उपासना छोड़कर मूर्ति-पूजा करते थे, हर क़बीले का अपना अलग उपास्य था।

उस समय भारत की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी वर्णव्यवस्था ने समाज को जाति के आधार पर विभाजित कर रखा था और तथाकथित नीची जाति ऊंची जाति के अत्याचारों का शिकार थी। महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और सती प्रथा ने उनको जीने के अधिकार से भी वंचित कर दिया था। शूद्रों की तरह महिलाओं को भी धार्मिक पुस्तकों को छूने तक का अधिकार नहीं था। ईश्वर के बजाए उसकी रचनाओं की उपासना होती थी और लोग जानवरों पेड़-पौधों चांद-सूरज आदि की पूजा करते थे।

ऐसी जटिल समस्याओं से जुझती हुई मानवता के मार्गदर्शन के लिए ईश्वर ने अपने दूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को दुनिया में भेजा।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने अपने काम का आरंभ लोगों को स्वयं अपने ही हाथों से बनाए गए उपास्यों की उपासना छोड़कर इस संसार के वास्तविक प्रभु, मालिक और जन्मदाता की उपासना के आह्वान से किया।

"ऐ लोगों बंदगी करो अपने रब की जिसने तुम्हें और तुम से पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम बच सको।''

(क़ुरआन, 2:21)

और आपने लोगों को बताया कि मृत्यु के पश्चात सभी इंसानों को ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर अपने संपूर्ण जीवन का हिसाब देना होगा। वास्तविक सफलता यही मानी जाएगी कि इंसान नरक की आग से बच जाए और स्वर्ग में प्रवेश पा जाए।

मुहम्मद (सल्ल.) जानते थे कि समाज-सुधार का कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हो सकता जब तक मनुष्य का हृदय परिवर्तित न हो और वह स्वयं अपने आपको ईश्वर के समक्ष उत्तरदायी न समझने लगे। आप (सल्ल.) से पूर्व जितने भी पैग़म्बर दुनिया में आए सभी ने इसी सत्य की ओर लोगों को आह्वान किया और ईश्वर से अपने बिगड़े हुए संबंध को सुधारने की शिक्षा दी थी।

आप (सल्ल.) द्वारा प्रस्तुत की गई शिक्षाएं, ईश्वर द्वारा अवतरित 'वह्य' (प्रकाशना) पर आधारित होती थी और आप मनुष्य तक ईश्वर के संदेश को पहुंचाने में कोई क़सर नहीं छोड़ते थे।

पूरे मानव इतिहास में समाज सुधार में सफलता का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जैसी सफलता हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को प्राप्त हुई। यही कारण है कि वर्ष 1992 में अमेरिकी लेखक माइकल हार्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति'' में न केवल हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) को सर्वप्रथम स्थान दिया, बल्कि साथ में यह भी लिखा कि "पूरे इतिहास में धार्मिक एवं सांसारिक क्षेत्र में सर्वोच्च सफलता पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ही हैं।''

सभी इंसान एक मां-बाप की संतान हैं और सभी बराबर हैं। जाति रंग भाषा अथवा धर्म के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने इस सत्य की मात्र शिक्षा देने पर ही संतोष नहीं किया बल्कि इस समानता को समाज में स्थापित करके दिखाया भी। आप (सल्ल.) ने इंसानों को वर्गों और जाति में विभाजित करने वाली सभी सीमाओं को मिटा दिया और मानवता को ऐसा संदेश दिया, जिससे सारे भेदभाव समाप्त हो गए। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के क़रीबी सहयोगियों में हज़रत बिलाल (रज़ि) काले रंग के हब्शी थे और हज़रत सलमान (रज़ि) फ़ारस के रहने वाले थे। यह उनकी शिक्षाओं ही का असर था कि ग़ुलामी की प्रथा अरब में 1450 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी।

आपने एक ओर जहां मानव-जीवन को सफलता की नई परिभाषा दी, समाज-सुधार के नए आधार बताए, वहीं दूसरी ओर एक ऐसे आंदोलन की स्थापना भी की जिसने अत्यंत तीव्र गति से आप (सल्ल.) ही के 63 वर्षीय जीवनकाल में पूरे अरब की स्थिति को बदल कर रख दिया और जिसका अनुसरण दुनिया आज तक कर रही है। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए ईश्वरीय संदेश से प्रभावित होने वालों में अरबों के मूर्तिपूजक भी थे, मदीना के यहूदी भी थे, रोम साम्राज्य के ईसाई भी थे और ईरान के पारसी भी। जिसने भी आपके संदेश को सुना व प्रभावित हुए बिना न रह सका।

आपकी शिक्षाओं के आधार पर अरब में एक नई सभ्यता की नींव पड़ी। एक ऐसी सभ्यता जिसमें किसी पर ज़ुल्म व अत्याचार की कोई जगह नहीं थी, जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए और उन्हें इतिहास में पहली बार विरासत का अधिकार प्राप्त हुआ और जहां उन्हें सुरक्षा का भय नहीं सताता था, जहां गोरे और काले बराबर थे, जहां जाति के आधार पर लोगों के विभाजन की कोई संभावना नहीं थी, जहां समाज के हर क्षेत्र में नैतिकता का बोलबाला था, जहां ग़रीबों के शोषण के लिए कोई स्थान न था और उन्हें ब्याज के जाल में नहीं फंसाया जा सकता था, जहां कन्या भ्रूण हत्या के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जहां अपराध हो जाने पर व्यक्ति स्वयं को सज़ा के लिए पेश कर देता था, जहां संकुचित राष्ट्रवादिता की नहीं पूरी मानवता के हित की बात की जाती थी, जहां रोटी-कपड़ा और मकान की कोई समस्या नहीं थी, जहां शासक स्वयं को सेवक समझता था और जहां इंसान इंसान का ग़ुलाम नहीं, बल्कि ईश्वर का बंदा होता था।



ऐसी सभ्यता को किसी भौगोलिक रेखाओं के अंदर सीमित न रखा जा सकता है और न हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं पर आधारित इस सभ्यता को रखा जा सका। आज भी हर व्यक्ति इन्हीं आदर्शों की अपेक्षा करता है और उस समय भी करता था। अरब की सीमाओं को पार करती हुई यह सभ्यता अन्य देशों तक बहुत तेज़ी से फैलती चली गई और लगभग एक हज़ार वर्ष तक पूरे विश्व के लिए आदर्श का काम करती रही।

सभी इंसान एक मां-बाप की संतान हैं और सभी बराबर हैं। जाति, रंग, भाषा अथवा धर्म के आधार पर कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने इस सत्य की मात्र शिक्षा देने पर ही संतोष नहीं किया, बल्कि इस समानता को समाज में स्थापित करके दिखाया भी। आप (सल्ल.) ने इंसानों को वर्गों और जाति में विभाजित करने वाली सभी सीमाओं को मिटा दिया और मानवता को ऐसा संदेश दिया, जिससे सारे भेदभाव समाप्त हो गए। ईश्वर ने आप (सल्ल.) के माध्यम से पूरी मानवता को संदेश दिया है-

"ऐ लोगों! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक ही स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और क़बीलों का रूप दिया, ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो। वास्तव में ईश्वर के यहां तुममें सबसे अधिक प्रतिष्ठित वह है, जो तुममें सबसे अधिक डर रखता है। निश्चय ही ईश्वर सब कुछ जानने वाला, ख़बर रखने वाला है।" (क़ुरआन, 49:13)

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के क़रीबी सहयोगियों में हज़रत बिलाल (रज़ि) काले रंग के हब्शी थे और हज़रत सलमान (रज़ि) फ़ारस के रहने वाले थे। यह उनकी शिक्षाओं ही का असर था कि ग़ुलामी की प्रथा अरब में 1450 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी, जबकि अमेरिका जैसे देश में भी वह अब से 100 वर्ष पूर्व तक प्रचलित रही है। ■■

KANTI Monthly, New Delhi
SEPTEMBER 2023
Posted on 20-21 August 2023
Published on 18 August 2023
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2021-2023
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2021-2023
Total Pages with Cover: 52

अतः उच्च है अल्लाह,
वास्तविक सम्राट। और देखो,
क़ुरआन पढ़ने में जल्दी न किया करो जब तक कि तुम्हारी ओर
उसकी प्रकाशना (वह्य) पूर्णता को प्राप्त न हो,
और दुआ करो कि ऐ पालनहार! मुझे
और अधिक ज्ञान प्रदान कर।
(क़ुरआन, 20:114)

with best compliment from
Munam Public School